



विधानसभा चुनाव, 2023

पीठासीन अधिकारियों तथा
मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण

निर्वाचन विभाग, राजस्थान

विधानसभा चुनाव, 2023

पीठासीन अधिकारियों तथा
मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण

निर्वाचन विभाग, राजस्थान

Important Readings



Handbook for Presiding officer

Document 19 - Edition 1
September, 2022



भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001
"No voter to be left behind"



CHECKLIST FOR PRESIDING OFFICER

September - 2022
DOCUMENT 19 – EDITION 1



भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

"Making Elections Inclusive, Accessible, Participative, Safe and Inducement Free"



मतदान हेतु प्रस्थान करने से पूर्व

मतदान केन्द्र की स्थापना

मतदान अधिकारी के कर्तव्य

मतदान दिवस

मॉक पोल

वास्तविक पोल

मतदान उपरांत

मशीन सीलिंग

प्रपत्र भरना

सामान जमा करवाना

विशेष परिस्थितियां

मतदान दल

आपकी सहायता हेतु तीन मतदान अधिकारी उपलब्ध होंगे।

आपको पीठासीन अधिकारी / मतदान अधिकारियों की भूमिका के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करना है तथा ई. वी.एम. प्रयोग का व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं अभ्यास, वीवीपेट के संचालन का व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं अभ्यास करना है।

मतदान दिवस के एक दिन पूर्व आपको अंतिम प्रशिक्षण के समय मतदान दल के साथ मतदान हेतु सभी सामग्री निर्धारित स्थान से प्राप्त कर अपने मतदान केन्द्र के लिए प्रस्थान करना होगा।

मतदान केन्द्र पर पहुंच कर वहाँ की सभी व्यवस्था देख कर आपको मतदान की पूर्व तैयारी करनी होगी तथा आवश्यक सूचनाओं को मतदान केन्द्र के बाहर चस्पा करना होगा।

मतदान हेतु प्रस्थान करने से पूर्व

मतदान मशीन (EVM) व मतदान सामग्री एकत्रित करना व जाँच

- **EVM मशीन की जाँच:—**

मतदान यूनिट, नियंत्रण यूनिट एवं वी.वी.पैट के कैरिंग बॉक्सों पर लगे एड्रेस टैग में वही मतदान केन्द्र की संख्या अंकित हो जिसके लिये आपकी ड्यूटी हो।

मशीन के मतदान यूनिट, नियंत्रण यूनिट एवं वी.वी.पैट के कैरिंग बॉक्सों पर लगे एड्रेस टैग पर अंकित मशीन के नम्बरों की भी जाँच कर लें।

ई.वी.एम. जाँच



- आपको प्रदत्त बैलेट यूनिट पर स्क्रीन में मतपत्र पहले से ही दिखता हुआ होगा।
- कन्ट्रोल यूनिट पर एड्रेस टैग लगाये जायेंगे। बैलेट यूनिट पर भी उपरोक्तानुसार ही एड्रेस टैग लगे हुए होंगे।
- CU एवं BU पर स्पेशल पिंक पेपर सील (हल्के गुलाबी रंग की) लगी होगी जो आर.ओ. के स्तर पर लगायी हुयी है।
- **VVPAT** सील अवस्था में कैरिंग बॉक्स में उपलब्ध है।

विशेष ध्यान देने योग्य:

चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदान दलों द्वारा दल रवानगी के समय से मॉक पोल के पूर्व तक CU, BU और VVPAT को आपस में जोड़कर परीक्षण नहीं किया जाएगा



मतदान सामग्री की जाँच

निर्वाचक नामावली की तीन कार्यकारी प्रतियां उसी भाग की हो जिस मतदान केन्द्र हेतु आपकी नियुक्ति की गई है।

वर्तमान चुनाव के दौरान अर्हता दिनांक 01.10.2023 के संदर्भ में अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची एवं निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया के दौरान नामांकन प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक तक तैयार पूरक सूचियों का उपयोग किया जायेगा।

अंतिम प्रकाशन के पश्चात् मूल मतदाता सूची के साथ परिवर्धन की पूरक सूची सलग्न है। पूरक सूची-1 एवं निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया दौरान जो विलोपन एवं संशोधन किये गये हैं की पूरक सूची-2 के अनुसार उक्त विलोपन एवं संशोधन मूल मतदाता सूची में दर्शाये गये हैं। अतः मतदान केन्द्र पर उपलब्ध मतदाता सूची के साथ केवल परिवर्धन (Addition) की पूरक सूची होगी।


अंतिम प्रकाशन व निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया के दौरान विलोपित किये गये नामों को क्रमशः एक बार व दो बार DELETED से दर्शाया जायेगा तथा इसी प्रकार एक बार संशोधन हेतु # एवं द्वितीय बार संशोधन हेतु ## से दर्शाया गया है।

अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं (Election Agents) के हस्ताक्षर के नमूने की फोटो प्रतियां भी आपको दी गई हैं।

ये मतदान केन्द्र पर मतदान अभिकर्ता के नियुक्ति पत्र में उसके अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षरों की वास्तविकता को सत्यापित करने में आपकी मदद करेंगे।

अन्य महत्वपूर्ण सामग्री जैसे सभी प्रकार के प्रपत्र व लिफाफे, अमिट स्याही, स्टाम्प पैड, स्पेशल टेग, पिंक पेपर सील, ग्रीन पेपर सील आदि समस्त सामग्री की जांच कर लें।

खानगी के समय प्राप्त विभिन्न **Statutory Booklet -1**



रवानगी के समय प्राप्त विभिन्न **Statutory Booklet** बुकलेट

Booklet 3- Voter Slips (White)

Voters Slip

2-Non Statutory Booklet



Part A (Forms) -(Yellow)

- 1-DECLARATION BY THE PRESIDING OFFICER BEFORE THE COMMENCEMENT OF THE POLL AND AT THE END OF POLL(Part I to IV)**
- 2-PRESIDING OFFICER'S DIARY.**
- 3-VISIT SHEET**
- 4-Presiding Officers report (I,II,III,IV,V)**
- 5-Receipts of return of election records & materials after Poll.**
- 6-CHECK MEMO FOR PRESIDING OFFICER**

2-Non Statutory Booklet



Part B (Forms)

- 1-Appointment of Polling agents- Form 10
- 2-POLLING AGENTS/RELIVING AGENTS MOVEMENT SHEET
- 3-ENTRY PASS OF POLLING AGENTS/RELIEVING AGENTS
- 4-DECLARATION BY THE COMPANION OF BLIND AND INFIRM ELECTOR
- 5-THE RECEIPT BOOK AND CASH, IF ANY, IN RESPECT OF CHALLENGED VOTES
- 6-Form of Declaration by Elector under rule 49MA of Conduct of Elections Rules, 1961
- 7-Form of Declaration by Elector whose name is in Absentee/Shifted/Dead List (ASD List)
- 8-LETTER OF COMPLAINT TO THE S.H.O. POLICE
- 9-FORM OF DECLARATION BY ELECTOR ABOUT AGE
- 10-LIST OF VOTERS FROM WHOM DECLARATION AS TO THEIR AGE HAVE BEEN OBTAINED or LIST OF ELECTORS WHO HAVE REFUSED TO MAKE DECLARATIONS AS TO THEIR AGE.
- 11-Entry – Placard
- 12-Exit- Placard
- 13-Declaration of Officer in Charge of Polling Station (Form 100)

खानगी के समय प्राप्त विभिन्न बुकलेट

3. Candidate Information Booklet

- 1-List of Contesting candidates Form-7**
- 2- Photo Copy of signature of Candidates/Agents**

रवानगी के समय प्राप्त विभिन्न लिफाफे

4. Envelopes:

- 1-First Packet: EVM Papers (Paper to be kept with EVM)-**WHITE**
- 2-Second Packet: Scrutiny Documents (To be kept other Than EVM Strong strong room)-**WHITE**
- 3-Third Packet: Statutory Covers-**WHITE**
- 4-Fourth Packet: Non-Statutory Covers-**YELLOW**
- 5-Fifth Packet: Handbooks, ECI Inst., Indelible ink, and Stamp Pad-**Brown**
- 6-Sixth Packet: All other material-**Blue**

मतदान केन्द्र पर मतदान से एक दिन पूर्व पहुँच कर सुनिश्चित करने के बिन्दु

1. मतदान केन्द्र की परिधि 200 मीटर हो जो आपके नियंत्रण में है। इस परिधि के भीतर आपका नियंत्रण होगा, तथा इस कार्य में पुलिस की सहायता आपको उपलब्ध होगी।

इस परिधि में :-

- 1. राजनैतिक दलों के प्रचार पोस्टर यदि हों तो उन्हें हटवाएं।

- 2. इस परिधि के भीतर किसी भी अभ्यर्थी के प्रतिनिधियों को मतदाताओं की सहायता हेतु गैर शासकीय पर्चियाँ काटने हेतु नहीं बैठने दिया जावेगा। यदि किसी अभ्यर्थी के कुर्सियां व टेन्ट आदि इस परिधि में हो तो हटवाएं।
- 3. इस परिधि में हथियारबन्द या गैर हथियारबन्द, भवन के स्वामी या प्रहरी को भीतर नहीं रहने दिया जायेगा।



मतदान केन्द्र के बाहर प्रमुख रूप से प्रदर्शित पोस्टर

- मतदान केन्द्र से संबंधित विभिन्न सुविधाएँ यथा मतदान केन्द्र का नाम, मतदाताओं की संख्या, केन्द्र में सम्मिलित क्षेत्र, भवन का नाम, पीठासीन अधिकारी का नाम व मोबाइल न., बीएलओ का नाम व मोबाइल न. प्रदर्शित करना होगा।
- प्रारूप 7 क में निर्वाचन के अभ्यर्थियों की डमी सूची
- मतदाताओं द्वारा मतदान केन्द्र पर DO's & DONT'S की सूची
- मतदाताओं की पहचान स्थापित करने हेतु दस्तावेजों की जानकारी व मतदान कैसे किया जाना है



भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF
INDIA



- विधानसभा क्षेत्र
(क्रमांक / नाम) _____
- मतदान केन्द्र
(क्रमांक / नाम) _____
- कुल मतदाता _____
- मतदान केन्द्र की स्थिति (Locality) _____
- पीठासीन अधिकारी
(क्रमांक / नाम) _____
- बूथ लेवल अधिकारी
(नाम) _____
- रिटर्निंग अधिकारी
(नाम एवं दूरभाष नंबर) _____
- जिला निर्वाचन अधिकारी
(नाम एवं दूरभाष नंबर) _____
- सामान्य निर्वाचन पर्यवेक्षक
(नाम एवं दूरभाष नंबर) _____

मतदान केन्द्र का क्षेत्र

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी / CHIEF ELECTORAL OFFICER

राज्य : राजस्थान
मतदान दिवस:.....

State : Rajasthan

मतदान समय: पूर्वाह्नबजे से
अपराह्न.....बजे तक



भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF
INDIA



निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (प्ररूप 7-क)



भारत निर्वाचन आयोग ELECTION COMMISSION OF INDIA



DOs



हमेशा लाईन में रहें और अपनी बारी का इंतजार करें।



हमेशा मतदान केन्द्र के अन्दर और बाहर शांति बनाये रखें।



भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित पेनल नं० 4 के अनुसार फोटो पहचान पत्र दिखायें।



मतदान के लिए निर्देशों की पालना करें।



मतदान दलों के प्रति शिष्टता रखें क्योंकि वे आपके मतदान की सुविधा के लिए यहीं पर हैं।



अपने मताधिकार के उपयोग पश्चात् मतदान केन्द्र से शांति पूर्वक जायें।

DONTs



अपने मत के लिये रिश्वत मत लो, रिश्वत एक अपराध है।



किसी और के लिये प्रतिरूपण नहीं करें, प्रतिरूपण एक दण्डनीय अपराध है।



चुनाव प्रक्रिया में बाधा नहीं डालें, यह दण्डनीय अपराध है।



ईवीएम एवं वीवीपेट सहित चुनाव सामग्री की क्षति / छेड़छाड़ नहीं करें। यह दण्डनीय अपराध है।



मतदान दल को अपना कर्तव्य सम्पादित करने में बाधा नहीं डालें। यह दण्डनीय अपराध है।



मतदान केन्द्र के अन्दर और चारों तरफ कूड़ा-कर्कट नहीं डालें तथा थूकें नहीं। यह एक दण्डनीय अपराध है।



दूरभाष प्रतिबंधित



धूम्रपान वर्जित



आग व हथियार प्रतिबंधित



फोटोग्राफी प्रतिबंधित



वोटर हेल्प लाईन
टोल फ्री नं.- 1950



भारत निर्वाचन आयोग ELECTION COMMISSION OF INDIA



अधिकृत पहचान दस्तावेज

- मतदाता फोटो पहचान पत्र



- आधार कार्ड



आधार - आम आदमी का अधिकार

- मनरेगा जांच कार्ड



- बैंकों/काकभरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक



- धर्म मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड



- डाइविंग लाइसेंस



- पैन-कार्ड



- एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड

- पारापोर्ट



- फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज



- राज्य/केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र



- सांसदों/विधायकों/विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र

ध्यान दें

मतदाता सूचना पर्ची को जानकारी/मार्गदर्शन के लिए उपयोग किया जा सकता है, लेकिन पहचान प्रमाण के रूप में नहीं।

4.

मतदान कैसे करें



याद रखें, मत देने के लिये निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज होना आवश्यक है। मतदाता फोटो पहचान पत्र होना मतदान के लिए गारंटी नहीं है।



प्रथम मतदान अधिकारी चिन्हित निर्वाचक नामावली का प्रभारी है, यह आपकी पहचान निर्वाचक नामावली की प्रविष्टि एवं आप द्वारा प्रस्तुत पहचान दस्तावेज से करेगा।



आपकी पहचान स्थापित होने के उपरान्त द्वितीय मतदान अधिकारी जो अभिट स्वाही का प्रभारी है, आपके हाथ की सर्जनी पर अभिट स्वाही लगावेगा।



मतदान अधिकारी-द्वितीय जो मतदाता पंजिका का प्रभारी है यह आपके इस्ताखर/अंगूठे का निशान मतदाता पंजिका में लेगा और मतदाता पर्ची जारी करेगा।

5

मतदाता पर्ची की क्रम संख्या के आधार पर तृतीय मतदान अधिकारी आपको मत देने के लिये अनुमति देगा।



अपने चयनित अभ्यर्थी के सामने पीला बटन दबायें। लाल चम्बकती छोटी बाली के साथ लम्बी बीप की आवाज आपके सफल मत की पुष्टि करेगी।



आपका मत आपकी पसन्द के अभ्यर्थी को गया है, वीटीपेट को देखकर यह संतुष्टि कर लें।

विधानसभा उप चुनाव - 202.....

इस बार विधानसभा उप चुनाव के दौरान प्रत्येक मतदान केंद्र पर ईवीएम के साथ वीवीपेट मशीन का भी उपयोग किया जाएगा।



इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM)-एवं वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) द्वारा वोट करने की प्रक्रिया



1 मतदान केंद्र में विलंब मतदान प्रक्रिया में प्रवेश करने के समय मतदान अधिकारी वैलिट बुलिट की ओर देने के दौरान क्लिकिंग। वैलिट बुलिट पर टूटी काली जालने के पश्चात वोट डालने के लिए तैयार है।

2 ईवीएम मशीन के वैलिट बुलिट पर अधिकतम अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने चिह्न खींचे बरतने की शरतें।

3 वोट डालने पर अप्रैप्ट उम्मीदवार के नाम के सामने की स्थान वाली वैलिट बुलिट में बल डालेगी।

4 वीवीपेट मशीन पेपर पर्ची छिद्र करेगी, जिसमें आपके द्वारा चुने गये उम्मीदवार का नाम, क्रमांक एवं चुनाव स्थान अंकित होगा।

5 मतदान सुपवा खत्म करें।
यदि वोट पर्ची 7 **सीक्रेटरी** के लिए दिखाई देती, उसके बाद अपने उपाय करके विलंब के बुलिट-बॉक्स में चली जायेंगी तथा वोट की जानकारी सुनाई देगी यदि वोट पर्ची दिखाई दे तो का वोट की जानकारी सुनाई जा देगी वीवीपेट अधिकारी से अनुरोध करें।

6 यदि आप किसी भी उम्मीदवार की वोट नहीं देना चाहते हैं तो आप **अवैध** 18 पर अंकित "मुझे कोई नहीं" (NOTA) के सामने चिह्न खींचे बरतने की शरतें।

मतदान के समय वीवीपेट प्रदान करता है

पुष्टि

संतुष्टि

विश्वास

मतदान दिवस :


आओ मनायें लोकतंत्र का उत्सव

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग, राजस्थान द्वारा जनहित में प्रकाशित

मतदान केन्द्र की स्थापना

- पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र पर पहुंच कर मतदान हेतु निर्धारित भवन का निरीक्षण करेंगे, तथा मॉडल मतदान केन्द्र के ले-आउट के अनुसार मतदान केन्द्र की स्थापना करेंगे।
- मांग किये जाने पर अभिकर्ता की नियुक्ति के लिए निर्धारित फॉर्म उपलब्ध भी करायेंगे।

आदर्श मतदान कक्ष का ले आउट



मतदान केन्द्र की स्थापना में ध्यान रखने योग्य मुख्य बिन्दु



- BU व VVPAT मतदान कक्ष में मेज पर रखी जावे।
- CU मतदान अधिकारी III की टेबल पर रहेगी।
- वोटिंग कम्पार्टमेन्ट व CU में पर्याप्त दूरी हो।
- VVPAT व कंट्रोल यूनिट को जोड़ने वाली केबल मतदाता के चलने में बाधा न डाले व उसे केबल के ऊपर से न जाना पड़े। केबल को मेज के पाये से टेप लगा कर बान्ध दे।
- केबल मतदान कक्ष के पीछे से नीचे की ओर कटे हुए छिद्र से बाहर निकाला जावे।

- छिद्र इतना चौड़ा हो कि VVPAT से केबल निकासी का भाग मतदान कक्ष के बाहर से दिखाई दे, किन्तु मत की गोपनीयता भंग न हो।
- यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई मतदाता मतदान कक्ष में केबल के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयत्न न करें।
- वोटिंग मशीन मतदान केन्द्र की खिड़की या दरवाजे के समीप न हो।

- मतदाताओं के लिए मतदान कक्ष में पृथक्-पृथक् प्रवेश व निकास की व्यवस्था हो (मतदान कक्ष में यदि एक ही दरवाजा होने पर दरवाजे के बीच में बांसों/रस्सियों की सहायता से ऐसी व्यवस्था की जावे)
- मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था ऐसी हो कि वे मतदाता द्वारा अपना मत रिकार्ड करते हुए नहीं देख सकें।
- मतदान कक्ष में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था हो।
- यह भी सुनिश्चित करें कि उच्च वोल्टता वाला प्रदीप्त बल्ब/ट्यूब लाईट वोटिंग कम्पार्टमेन्ट के ऊपर अथवा सामने स्थापित न हो।

मतदान केन्द्र के बाहर

- मतदाताओं के लिए प्रतीक्षा हेतु पर्याप्त जगह हो।
- यथासंभव पुरुषों, महिलाओं एवं दिव्यांगजनों/वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक्-पृथक् प्रतीक्षा स्थल हों।
- मतदाताओं को प्रतीक्षा हेतु खड़े इस प्रकार करें कि उनके मध्य उचित दूरी रहे। अतिरिक्त मतदाता आने पर मतदान केन्द्र से बाहर प्रतीक्षा हेतु कहें।

मतदान अभिकर्ताओं को बैठाने की व्यवस्था:—



- मतदान बूथ पर चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के पोलिंग एजेन्ट तथा मतदान कर्मियों के बैठने की व्यवस्था इस प्रकार हो जिससे वह मतदाता का चेहरा देख सकें तथा आवश्यकता होने पर उसकी पहचान को चुनौती दे सकें।
- पोलिंग एजेन्टों को यथा संभव मतदान अधिकारियों के पीछे की ओर बैठाया जाना चाहिये।
- मतदाता के मतदान कक्ष में प्रवेश से लेकर मतदान कक्ष छोड़ने तक की गतिविधि देख सकें।
- किन्तु मतदाता द्वारा अपना मत रिकार्ड करते हुए नहीं देख सकें।
- पीठासीन अधिकारी की मेज की समस्त क्रियाएँ देख सकें।

मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की प्राथमिकता

आयोग के अनुदेशों के अनुसार मतदान अभिकर्ताओं की मतदान केन्द्र पर बैठने की व्यवस्था निम्नांकित प्राथमिकताओं के अनुसार रखी जायेगी :-

- मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थी
- मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों के अभ्यर्थी

मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की प्राथमिकता

- अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों के वह अभ्यर्थी जिन्हें अपने आरक्षित प्रतीको को इस निर्वाचन में प्रयुक्त करने की अनुमति दी गई है।
- रजिस्ट्रीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों के अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता
- निर्दलीय अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता

मतदान केन्द्र पर राजनीतिक दलों के नेताओं के फोटो या नारे प्रदर्शित नहीं हों। उन्हें मतदान समाप्त होने तक हटाए रखने की व्यवस्था की जावे।

मतदान केन्द्र के भीतर खाना पकाने व आग जलाने की अनुमति नहीं होगी।

मतदान केन्द्र में प्रवेश के लिए अधिकृत व्यक्ति



- ✓ मतदान दल के सदस्य
- ✓ प्रत्येक उम्मीदवार, चुनाव अभिकर्ता एवं प्रत्येक उम्मीदवार का एक मतदान अभिकर्ता
- ✓ आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति / मीडिया
- ✓ आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक
- ✓ महिला मतदाता के साथ गोद में बच्चा
- ✓ अन्धे अथवा शिथिलांग मतदाता का सहयोगी (Above 18 Years)
- ✓ पीठासीन अधिकारी द्वारा पहचान के लिए नियुक्त व्यक्ति

फोटोग्राफी



किसी भी मीडियाकर्मी को मतदान केन्द्र के अन्दर फोटोग्राफी करने की अनुमति नहीं है।

यदि आयोग द्वारा अधिकृत फोटोग्राफर से मतदान केन्द्र पर मतदान केन्द्र के अन्दर की फोटोग्राफी करवाई जाती है, तो उस स्थिति में भी मतदाता को मत अंकित करते समय की फोटोग्राफी कदापि नहीं की जायेगी।

वेब कारस्टिंग



1. जिन मतदान बूथ पर वेबकारस्टिंग की जायेगी, उन मतदान बूथों पर अतिरिक्त अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी जो कि सूचना प्रौद्योगिकी से होगा एवं वेब कारस्टिंग की प्रक्रिया से प्रशिक्षित होगा।
2. सभी सेक्टर ऑफिसर को भी वेबकारस्टिंग हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा एवं वेबकारस्टिंग की तैयारी में सेक्टर ऑफिसर को भी सम्मिलित किया जाएगा यदि उनको आवंटित बूथो पर वेबकारस्टिंग की जानी है। मतदान के दो दिन पूर्व ही सेक्टर ऑफिसर द्वारा वेबकारस्टिंग की लाईव चैकिंग की जायेगी।

मतदान अधिकारी के कर्तव्य

पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य



1. पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र का पर्यवेक्षक है।
2. मतदान केन्द्र के आस-पास 100 मीटर की परिधि में सम्पूर्ण व्यवस्था का दायित्व पीठासीन अधिकारी का है।
3. मतदान केन्द्र की स्थापना, मतदाता पंक्तियों को विनियमित करना, चुनौती, निविदत्त मतपत्र, टेस्ट वोट, अन्धे – शिथिलांग, अल्प आयु तथा ASD मतदाताओं द्वारा मतदान के मामले निपटाना।
4. EVM पर मॉक पोल करना। (वास्तविक मतदान से पहले मॉकपोल का डाटा क्लीयर करना व प्रमाण पत्र जारी करना)
5. नियंत्रण यूनिट में ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग एवं एड्रेस टैग लगाकर मतदान के पूर्व मशीन तैयार करना।
6. सैक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा मांगे जाने पर डाले गये मतों की संख्या बताना।

7. मतदान समाप्ति पर **CU** का क्लोज बटन दबाकर मतदान समाप्त करना ।
8. मतदान समाप्ति के बाद **CU**, **VVPAT** तथा **BU** को कैरिंग बॉक्स में सील करना ।
9. सांविधिक एवं असांविधिक लिफाफे तैयार करना एवं जहां आवश्यक हो वहां सील करना ।
10. समस्त मतदान सामग्री एवं मतदान सदस्यों के साथ वापस लौटकर प्रथम, द्वितीय व तृतीय काउंटर पर मतदान सामग्री जमा कराना ।

मतदान के समय पीठासीन अधिकारी के महत्वपूर्ण दायित्व



- प्रत्येक मतदाता के प्रवेश को विनियमित करें। जिस क्रम में मतदाता रजिस्टर 17क में प्रविष्टि है उसी क्रम में मतदान करावें।
- डाले गये मतों की संख्या का समय-समय पर मतदाता रजिस्टर में प्रविष्ट मतदाताओं की संख्या से मिलान करें।
- यह सुनिश्चित करें कि कोई भी मतदाता '*मतदाता रजिस्टर*' में हस्ताक्षर किये बिना मतदान नहीं करें तथा जिन मतदाताओं ने हस्ताक्षर कर दिये है वे मतदान किये बिना बाहर नहीं चले जाए।
- मतदान कक्ष की फोटो खींचने या वीडियो फिल्म बनाने की आज्ञा न दें।

पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति की स्थिति में मतदान केन्द्र पर नियुक्त प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा पीठासीन अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन किया जावेगा।

यदि कोई पर्दानशीन महिला मतदाता अपना चेहरा किसी मौजूद पीठासीन अधिकारी को दिखाने में संकोच करती है तो ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र क्षेत्र में उपलब्ध किसी भी महिला को जो कि मतदान क्षेत्र में रहती हो, को बुलवाकर ऐसी पर्दानशीन महिला की पहचान करवाने में सहायता ले सकता है।

प्रथम मतदान अधिकारी के कर्तव्य













1. प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा।
2. निर्वाचक की पहचान के लिए प्रथम मतदान अधिकारी उत्तरदायी है।
3. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट फोटो युक्त दस्तावेजों के आधार पर ही मतदाता की पहचान के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करेगा कि उस मतदाता की बांयी तर्जनी पर अमिट स्याही का कोई निशान तो नहीं है।
4. निर्वाचक की पहचान का सत्यापन समुचित रूप से निर्वाचक नामावली में की गई प्रविष्टि के संदर्भ में करना चाहिए।

5. प्रशासन द्वारा मतदाता सूचना पर्ची (Voter Information Slip) वितरित की जाती है जिससे मतदाता की क्रम संख्या ही ज्ञात की जायेगी। इस पर्ची में मतदाता का फोटो नहीं छपा होगा। यह पर्ची प्रशासन द्वारा BLO की सहायता से बांटी जाती है किन्तु यह पहचान का दस्तावेज नहीं होगा। मतदाता सूची में उपलब्ध फोटो से मतदाता की पहचान करना अनिवार्य है एवं साथ में किसी फोटो युक्त पहचान दस्तावेज को भी लाना होगा। (परिपत्र 464 / 26.02.2023)
6. मतदाता सूचना पर्ची निर्वाचक नामावली में किसी निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टियों का पता लगाने में सहायता मात्र करेगी।
7. मतदान कक्ष में एक कचरा पात्र की व्यवस्था हो, मतदाता द्वारा लायी गई अशासकीय पर्ची कचरा पात्र में ही डाली जावे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की रद्दी कचरा पात्र में ही डाले।

8. प्रथम मतदान अधिकारी पहचान पर्ची लेकर निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि की क्रम संख्या को पढ़ेगा।
9. उस व्यक्ति को अपना नाम जोर से बोलने को कहेगा यदि आवश्यक हो तो प्रविष्टि से सम्बन्धित अन्य विशिष्टियों के लिए भी कहेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके की पहचान पर्ची प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक मतदाता हैं।
10. यदि मतदाता की पहचान को चुनौती दी जानी है तो इसी स्तर पर दी जा सकती है, प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा पहचान सुस्थापित हो जाने के बाद मतदाता की पहचान को चुनौती नहीं दी जा सकती।
11. प्रथम मतदान अधिकारी आने वाले मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के पश्चात् फोटो युक्त मतदाता सूची में उस मतदाता से संबंधित प्रविष्टि के बॉक्स में फोटो को छोड़ते हुए लाल स्याही से तिरछी लाइन अंकित कर देगा।

12. महिला मतदाता के नाम के आगे उसके मतदाता सूची क्रमांक पर गोला [Round] भी बनाएगा। अगर मतदाता Transgender है तो * मार्क करेगा।
13. जिन मतदाताओं की पहचान मतदाता फोटो पहचान पत्रों के आधार पर की जावेगी उनके नाम के बांयी ओर E अंकित किया जायेगा और अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर पहचान की गई है तो नाम के आगे D अंकित किया जाये।
14. निविदत्त मत / अल्प आयु / अंधे शिथिलांग मतदाता / चुनौती / ASD प्रकरण के मामले पीठासीन अधिकारी के द्वारा तय किये जायेंगे।
15. यदि मतदाता सूची के मुद्रण में त्रुटिवश किसी मतदाता की आयु, लिंग या नाम गलत मुद्रित हो गया है परन्तु ऐसे मतदाता की पहचान अन्यथा सुनिश्चित हो जाती है तो उसे मत देने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा।

<p>19 EPIC No: HJC0022574 Name: Hmangaihpari Husband's Name: Lalnunmawia House No: 5 Age: 35 Sex: Female</p> 	<p>#20 EPIC No: HJC0003228 Name: Ramzauva Father's Name: Bantthanga House No: 6 Age: 39 Sex: Male</p> 	<p>#21 EPIC No: HJC0003129 Name: Fakzuali Husband's Name: Ramzauva House No: 6 Age: 37 Sex: Female</p> 
<p>22 EPIC No: HJC0019471 Name: Lalsangluara Father's Name: Khathun (L) House No: 7 Age: 66 Sex: Male</p> <p>DELETED</p> 	<p>23 EPIC No: HJC0022632 Name: Sapmawia Father's Name: Lalsangluara House No: 7 Age: 46 Sex: Male</p> <p>DELETED</p> 	<p>24 EPIC No: HJC0024042 Name: Rammingthang Husband's Name: Sapmawia House No: 7 Age: 41 Sex: Female</p> 
<p>25 EPIC No: HJC0004119 Name: Chuaatharpari Husband's Name: Laltanpua Rate House No: 7 Age: 23 Sex: Female</p> 	<p>26 EPIC No: Name: Lalbiakdik Father's Name: Sapmawia House No: 7 Age: 19 Sex: Female</p>	<p>27 EPIC No: Name: Laltanpua Rate Father's Name: Lallianthanga House No: 7 Age: 31 Sex: Male</p>
<p>28 EPIC No: HJC0000182 Name: Panawra Father's Name: Thant (L) House No: 8 Age: 74 Sex: Male</p> 	<p>#29 EPIC No: HJC0003657 Name: Zothanpuii Husband's Name: L.Rama House No: 8 Age: 31 Sex: Female</p> 	<p>30 EPIC No: HJC0019364 Name: Lalnunna Pachuau Father's Name: L.Sangluara House No: 9 Age: 44 Sex: Male</p> 

N.B. - Age as on 01.01.2006

- Corrected as per Supplement

Page No 2 of 44

निर्वाचक नामावली में चिन्हों के नमूने

द्वितीय मतदान अधिकारी के कर्तव्य



1. द्वितीय मतदान अधिकारी अमिट स्याही का भारसाधक होगा। यह प्रथम मतदान अधिकारी के पास बैठेगा तथा इसके पास मतदाता सूची की दूसरी प्रति होगी
2. इसके पास मतदाता रजिस्टर एवं मतदाता पर्ची होगी। आयोग के नवीनतम निर्देशों के अनुसार मतदाता रजिस्टर 17A में वास्तविक मतदान से पूर्व मॉकपोल का डाटा क्लीयर करने का प्रमाण पत्र अंकित किया जायेगा।
3. जैसे ही मतदाता इस मतदान अधिकारी के पास आएगा, वह मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी का निरीक्षण करेगा कि इस पर कोई अमिट स्याही का चिन्ह पहले से तो नहीं है।

4. मतदाता की बायीं तर्जनी के नाखून एवं चमड़ी के (रिज़) युग्म पर अमिट स्याही का निशान लगाएगा।

यदि मतदाता की बायीं तर्जनी नहीं है तो अमिट स्याही बायें हाथ की क्रमागत अंगुली पर लगायी जायेगी।

यदि बायें हाथ में कोई भी अंगुली ना हो तो अमिट स्याही मतदाता के दाये हाथ की तर्जनी पर लगाई जायेगी।

यदि मतदाता की दायें हाथ में तर्जनी नहीं है तो अमिट स्याही दायें हाथ की क्रमागत अंगुली पर लगायी जायेगी।

यदि दोनों हाथों में कोई भी अंगुली ना हो तो अमिट स्याही बाये अथवा दायें हाथ के अतिम सिरे पर लगाई जायेगी।

5. अमिट स्याही के प्रयोग के सम्बन्ध में नवीन प्रावधान अमिट स्याही बांयी तर्जनी के नाखून के आखिरी सिरे से प्रथम जोड़ के नीचे तक आपको प्रदत्त ब्रश की सहायता से मतदाता की अंगुली पर लगाई जाएगी। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है: –



6. मतदाताओं के रजिस्टर 17-क के कॉलम 2 में मतदाता की निर्वाचक नामावली का क्रमांक लिखेगा तथा कॉलम 4 मतदाता के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी लेगा।

7. यदि मतदाता मतदान हेतु मतदाता पहचान पत्र से मतदान करता है तो मतदाता रजिस्टर 17-क के कॉलम 3 में EP अंकित करेगा।

यदि मतदाता की पहचान किसी अन्य फोटोयुक्त दस्तावेज जो कि, राज्य निर्वाचन आयोग ने इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किए हैं, से की है तो ऐसे पहचान दस्तावेज के क्रमांक के अन्तिम चार डिजिट मतदाता रजिस्टर के अभ्युक्ति (Remark) वाले कॉलम में लिखे जाएंगे।

8. मतदाता के हस्ताक्षर का आशय मतदाता का नाम व उपनाम है केवल निशान नहीं।

9. यदि मतदाता अपना अंगूठा लगाता है तो मतदाता के बायें हाथ का अंगूठा लगवायें। यदि बायें हाथ का अंगूठा नहीं है तो दायें हाथ का अंगूठा लगवायें। यदि दोनों अंगूठे नहीं है तो बायें हाथ की अंगुलियों की छाप लें यदि बायें हाथ की अंगुलियां नहीं हो तो दायें हाथ की अंगुली की छाप लें यदि दोनों हाथ की अंगुलियां नहीं है तो मतदाता के साथी के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी लेनी चाहिये।

10. उपरोक्त कार्य करने के बाद द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा मतदाता को एक मतदाता पर्ची जारी की जायेगी जिसमें वह 17-क रजिस्टर की क्रम संख्या तथा मतदाता की निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या अपने लघु हस्ताक्षर के साथ अंकित करेगा।

मतदाता रजिस्टर



प्रारूप 17-क

(नियम 49 ठ देखिये)

मतदाता रजिस्टर

..... निर्वाचन क्षेत्र से.....
लोक सभा /राज्य की विधान सभा
.....के लिए निर्वाचन
मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम
निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक

मतदाता रजिस्टर



पेज संख्या

क्र. सं.	निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की क्रम संख्यां	निर्वाचक द्वारा अपने पहचान के सबूत में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा	निर्वाचक के हस्ताक्षर / अंगूठे की निशान	टिप्पणियां
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
इत्यादि				
पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर				

मतदाता पर्ची



मतदाता रजिस्टर के कॉलम (1) के अनुसार निर्वाचक की क्रम संख्या.....

मतदाता की निर्वाचक नामावली में यथा प्रविष्ट निर्वाचक क्रम संख्या

मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर

तृतीय मतदान अधिकारी के कर्तव्य



1. यह मतदान अधिकारी मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट का प्रभारी होगा।
2. यह द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा जारी की गई मतदाता पर्ची प्राप्त कर अपने पास क्रमबद्ध सुरक्षित रखेगा।
3. नियंत्रण यूनिट के बैलट बटन को दबाकर मतदान कक्ष में रखी मतदान यूनिट को चालू करेगा।
4. मतदाता को मत रिकॉर्ड करने के लिए वोटिंग कम्पार्टमेन्ट में भेजेगा। मतदाता द्वारा मतदान कर कंट्रोल यूनिट से बीप की आवाज आने तक मतदाता को वोटिंग कम्पार्टमेंट में रूकने के लिए कहेगा।
5. यह ध्यान रहे कि जिस क्रम में मतदाता पर्ची जारी हुई हैं उसी क्रम में वोटिंग कम्पार्टमेन्ट में मतदाता को अनुमति दी गई है।
6. निर्वाचक के मतदान कक्ष से वापिस आने पर निर्वाचक की बायीं तर्जनी पर अमिट स्याही के चिन्ह की जांच करेगा।
7. तत्पश्चात् मतदाता मतदान कक्ष से बाहर प्रस्थान करे।



मतदान दिवस

मतदान एवं मतदान अभिकर्ता



मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति –

- मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति प्ररूप-10 में अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा की जायेगी। मतदान अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत उसके मूल नियुक्ति आदेश (प्ररूप 10) के आधार पर पीठासीन अधिकारी उसे मतदान केन्द्र में प्रवेश देगा।
- प्ररूप-10 में नियुक्ति पत्र पर मतदान अभिकर्ता के भी सहमति स्वरूप हस्ताक्षर होंगे। मतदान अभिकर्ता द्वारा मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी के समक्ष पुनः हस्ताक्षर करने होंगे।



- मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण लिखित में प्ररूप-11 में अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा किया जा सकता है तथा अन्य मतदान अभिकर्ता की प्ररूप-10 में पुनः नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन पुनः नियुक्ति का कारण अंकित किया जायेगा।
- मतदान अभिकर्ता सामान्यतया उसी क्षेत्र का निवासी होगा एवं उसी मतदान केन्द्र अथवा पडौस के किसी मतदान केन्द्र का **मतदाता** भी होना चाहिये और उसके पास फोटो मतदाता पहचान पत्र (**EPIC**) या अन्य कोई पहचान पत्र अवश्य होना चाहिये। **EPIC** या उक्त फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज के बिना मतदान अभिकर्ता मतदान केन्द्र में नहीं बैठेगा।

- मतदान अभिकर्ताओं को मतदान केन्द्र में मतदान के समय अपना **EPIC** अथवा पहचान पत्र अपने शरीर पर प्रदर्शित करते हुए धारण करना होगा, ताकि उनकी तुरन्त पहचान हो सके।
- किसी अभ्यर्थी को ऐसे व्यक्ति को मतदान अभिकर्ता नहीं बनाना चाहिए जो आपराधिक पृष्ठभूमि का है।

- मतदान अभिकर्ताओं द्वारा अभ्यर्थी के नाम, जिसके लिए वह मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है, वाला एक छोटा बैज लगाया जावेगा। यह बैज पीठासीन अधिकारी जारी करेगा।
- प्रत्येक अभ्यर्थी प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक मतदान अभिकर्ता और दो रिलीवर मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है तथापि, एक समय पर किसी अभ्यर्थी के एक मतदान अभिकर्ता को ही मतदान केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जावेगी, इसके लिए Entry Pass भी पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगे ताकि एक समय में किसी अभ्यर्थी के एक से अधिक एजेन्ट ना रहें। अपराह्न 03:00 बजे बाद रिलीवर मतदान अभिकर्ता को अनुमति नहीं होगी।

- धारा 134(क) के अनुसार सरकारी सेवारत व्यक्ति मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा।
- मंत्री अथवा किसी अन्य व्यक्ति जिसे राज्य के खर्चे पर सुरक्षा प्रदान की गई है, को मतदान अभिकर्ता के रूप में अनुमति नहीं होगी।
- मतदान अभिकर्ता मतदान प्रारम्भ होने से कम से कम 90 मिनिट पूर्व मतदान केन्द्र में प्रवेश कर सकेंगे। यदि मतदान अभिकर्ता विलम्ब से आता है तो वह मतदान केन्द्र पर आगे की कार्यवाहियों में भाग ले सकेगा।
- मतदान अभिकर्ता को मोबाईल, कॉर्डलेस फोन या वायरलैस सेट रखने की अनुमति नहीं है।

- मतदान अभिकर्ताओं को मतदान के दौरान निर्वाचक नामावली की प्रति मतदान केन्द्र के बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी कारणवश मतदान अभिकर्ता मतदान केन्द्र के बाहर जाता है तो उसे निर्वाचक नामावली की अपनी प्रति पीठासीन अधिकारी के सुपुर्द करनी होगी।
- मतदान के दौरान कोई मतदान अभिकर्ता किसी पर्ची के माध्यम से मतदान केन्द्र के बाहर क्रमांक इत्यादि अंकित कर ऐसी कोई सूचना नहीं भेज सकता कि किस मतदाता ने मतदान कर लिया या किस ने मतदान नहीं किया है।

मतदान अभिकर्ता के कर्तव्य –

- जो व्यक्ति मतदाताओं के प्रतिरूपण का प्रयास करते हैं उनको आक्षेपित करके मतदाताओं के प्रतिरूपण का पता लगाने और रोकने के लिए पीठासीन अधिकारी की सहायता करना ।
- मतदान के पूर्व और पश्चात् उपस्थित रहकर नियमों के अनुसार मतदान मशीनों को समुचित रूप से सुरक्षित और मुहरबंद होने के पश्चात स्वयं के हस्ताक्षर अथवा सील लगाना ।

- मतदान बन्द होने के पश्चात् पीठासीन अधिकारी के प्ररूप 17—ग में रिकार्ड किये गये मतों के लेखे और पेपर सील के लेखे की प्रति लेना ।
- इस बात का ध्यान रखना कि मतदान से संबंधित सभी दस्तावेज विधि की अपेक्षानुसार समुचित रूप से सुरक्षित और मुहरबंद किये गये हैं ।

मतदान अभिकर्ता / प्रतिस्थानी अभिकर्ता की संचलन शीट

79.

26

मतदान अभिकर्ता / प्रतिस्थानी अभिकर्ता की संचलन शीट

लोक सभा / विधान सभा सामान्य / उप निर्वाचन-20.....

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम.....

मतदेय स्थल की संख्या तथा नाम..... निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या.....

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	दल का नाम	मतदान अभिकर्ता / प्रतिस्थानी अभिकर्ता का नाम	प्रवेश का समय	हस्ताक्षर	निकास का समय	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8

मतदान अभिकर्ता द्वारा लायी जाने वाली वस्तुएँ –

- अपना नियुक्ति पत्र , **EPIC** अथवा अन्य पहचान पत्र ।
- मतदान केन्द्र के लिए निर्वाचक नामावली की एक प्रति ।
- अनुपस्थित, स्थानान्तरित व मृत वोटर (**ASD**) यदि हो, के नामों की एक सूची ।
- पीतल की एक छोटी मुहर ।
- पेन, कागज और पेंसिल ।

मतदान की गोपनीयता बनाये रखना



- धारा 128 के अन्तर्गत मतदान की गोपनीयता का अतिक्रमण करना दण्डनीय अपराध है। मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी यह प्रावधान सभी उपस्थित व्यक्तियों की जानकारी में लायेगा।
- मतदान की गोपनीयता भंग करने और मतदान प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर मतदाता को मत नहीं देने दिया जायेगा और यदि ऐसे मतदाता को मतदान पर्ची जारी कर दी गई है तो उसे वापिस ले ली जायेगी और मतदाता रजिस्टर में इस आशय की टिप्पणी भी अंकित की जायेगी।
- मतदाता का मत देते हुए फोटो नहीं ली जा सकती।

मॉक पोल की प्रक्रिया

1. मॉकपोल के लिये BU तथा VVPAT को उचित रूप से संयोजित करके उन्हे मतदान कक्ष मे निर्मित किये गये वोटिंग कम्पार्टमेंट में रख दिया जाना चाहिये तथा सीयू का संचालन तृतीय मतदान अधिकारी की टेबल पर रखकर किया जाना चाहिये ।
2. एक मतदान अधिकारी वोटिंग कम्पार्टमेंट में मतदान अभिकर्ताओं द्वारा बैलेट यूनिट पर की जाने वाली गतिविधियों पर नजर रखने हेतु उनके साथ उपस्थित रहेगा तथा मतदान अभिकर्ताओं द्वारा दर्ज किये गये मतों का हिसाब रखेगा ।

नमूने के मतदान में कम से कम 50 वोट अवश्य डाले जावें और प्रत्येक अभ्यर्थी के खुले नीले बटन पर न्यूनतम एक मत अंकित किया जाये।

किसी अभ्यर्थी का अभिकर्ता उपस्थित नहीं होने की दशा में मतदान अधिकारियों में से कोई एक व्यक्ति या कोई दूसरा मतदान अभिकर्ता ऐसे अभ्यर्थियों के मत डाल सकता है।




मॉक पोल के समय यदि किसी यूनिट में खराबी आ जाती है तो केवल उसी यूनिट को बदला जायेगा। ऐसी यूनिट पर ‘**MOCK POLL REPLACED**’ का **Sticker** चिपका कर **Sector Officer** अपने साथ ले जायेगा।

Defected Unit	Replacing Unit
CU	CU
BU	BU
VVPAT	VVPAT



वास्तविक मतदान प्रारम्भ होने के बाद	BU खराब हो जाए	BU, CU एवं VVPAT का पूरा सेट बदला जाएगा	<ul style="list-style-type: none"> ➤ नई मशीन के प्रत्येक खुले उम्मीदवार बटन पर 1-1 मत देकर पुनः मॉक पॉल किया जाएगा ➤ खराब यूनिट्स को केरिंग केस में सील कर रख दिया जाएगा
	CU खराब हो जाए		
	VVPAT खराब हो जाए	केवल VVPAT को बदला जाएगा	<ul style="list-style-type: none"> ➤ कोई मॉक पॉल नहीं होगा ➤ खराब VVPAT को केरिंग केस में सील कर रख देंगे
	VVPAT की बैटरी खराब हो जाए	केवल VVPAT की बैटरी बदली जाएगी	<ul style="list-style-type: none"> ➤ कोई मॉक पॉल नहीं होगा
वास्तविक मतदान प्रारम्भ होने से पहले	कोई भी यूनिट खराब हो	केवल खराब यूनिट को ही बदला जाएगा	





किसी भी यूनिट को बदलते या जोड़ते समय हमेशा पहले सीयू को प्रावर-ऑफ करें

किसी भी स्थिति में वीवीपेट के सील्ड विलट स्लिप कंपार्टमेंट को खोला नहीं जाएगा



ईवीएम - वीवीपेट को कनेक्ट करना




विशेष:-

यदि वास्तविक मतदान के समय VVPAT के अलावा किसी यूनिट (CU, BU) में खराबी आती है तो पूरा सेट बदला जायेगा तथा सभी अभ्यर्थियों के पक्ष में एक एक मत अंकित कर मॉक पोल पुनः कराया जायेगा। ऐसी सभी यूनिट को सील कर पीठासीन अधिकारी अपने पास ही रखेगा **Sector Officer** को नहीं दी जायेगी।

यदि वास्तविक मतदान के समय केवल VVPAT में खराबी आती है तो केवल VVPAT को ही बदला जायेगा तथा मॉक पोल नहीं कराया जायेगा।


मॉक पोल प्रक्रिया

बैलेट बटन दबाने पर CU में लाल बत्ती जल जाएगी अर्थात् मशीन मतदान हेतु तैयार है।



CU का **Busy Lamp (RED)** चमकता है

CU का बैलेट बटन दबाने पर



BU का **Ready Lamp (GREEN)** चमकता है


मॉक पोल प्रक्रिया.....

मतदाता द्वारा अपनी पसंद के सम्बन्धित उम्मीदवार के सामने का नीला बटन दबाने पर **BU** में लाल बत्ती (**Busy Lamp**) जल जायेगी और VVPAT में सम्बन्धित उम्मीदवार की क्रम संख्या, नाम और चुनाव चिन्ह VVPAT स्लिप पर प्रदर्शित होगा।



VVPAT स्लिप का नमूना

Serial No. of VVPAT



Candidate's Name

Candidate's Serial No.
on Ballot Paper


Candidate's Symbol

VVPAT के प्रदर्शन खण्ड में वोटर स्लिप पर सूचना 7 सैकण्ड तक प्रदर्शित होगी तथा वोटर स्लिप स्वतः ही स्लिप ड्रॉप बॉक्स में गिर जाएगी। इसके पश्चात् CU में बीप की आवाज सुनाई देगी। जो कि एक मतदाता द्वारा मत देने की पूरी प्रक्रिया की समाप्ति को प्रदर्शित करेगा।

मतदान के समय BU व VVPAT में डिस्प्ले



2023




मॉक पोल प्रक्रिया में मतदान समाप्त करना...

सभी उम्मीदवारों को
वांछित मत देने के
बाद क्लोज बटन
दबाकर बनावटी
मतदान की प्रक्रिया को
समाप्त किया जायेगा।





**CU displays
Date & Time**



**CU displays
Serial Number**



**CU displays
number of candidates**




CU displays Total votes polled




CU displays Poll Closed

नमूना मतदान का परिणाम


रिजल्ट बटन दबाने पर प्रदर्शन खण्ड पर सूचनाओं का प्रदर्शन



**Open the cover of
*RESULT
COMPARTMENT***



Press **RESULT button**



**CU displays
COMPUTING RESULT**



**CU displays
Poll Date**




**CU displays Poll start
time and end time**




**CU displays its
Serial Number**




**CU displays
Number of
Candidates**



**CU displays
Total Votes
Polled**





**CU displays Votes Polled
for Candidate 1 and so on
till END is displayed.**



Note down number of votes for each candidate

नमूना मतदान हेतु काम में लिए गये बटनों का क्रम



VVPAT की नमूना मतदान की VVPAT स्लिप की गणना करना

- कन्ट्रोल यूनिट के बटन को Switch OFF कर VVPAT के स्लिप कम्पार्टमेन्ट को खोल कर इसमें से सभी VVPAT स्लिप्स को बाहर निकालना है।



Pull the cover up and open the compartment



VVPAT slips to be removed and slips to be counted.

Remove VVPAT Slips



- **Power On Self Test Slips** की 7 स्लिपों को अलग करते हुए सभी अभ्यर्थीवार प्राप्त VVPAT स्लिप्स को अलग-अलग कर गणना करना।

इस गणना से प्राप्त परिणामों का कन्ट्रोल यूनिट से प्राप्त परिणामों से तुलना करा सभी एजेन्ट को सन्तुष्ट करना।

- सभी एजेन्टों को पुनः VVPAT के खाली स्लिप कम्पार्टमेन्ट को दिखाकर इस कम्पार्टमेन्ट को एड्रेस टैग की सहायता से सील करना ।



Push the cover down and close the compartment



Then VVPAT slips compartment has to be sealed as shown above by Polling Officer at polling station after mock poll


मॉक पोल की सभी स्लिपों के पीछे मॉक पोल स्लिप की सील लगाना ।



**Mock Poll
Slip**

Put this Seal on back of VVPAT Slips

इन स्लिपों को मोटे काले लिफाफे में सील करना



लिफाफे को पिंक पेपर सील लगाकर बन्द करना है, सील पर एजेन्टों एवं स्वयं के हस्ताक्षर अंकित करने हैं।



VVPAT के सम्बन्ध में ध्यान रखने योग्य

मतदान के समय VVPAT की बैटरी खराब होने के कारण बदली जा सकती है, इसलिए VVPAT के बैटरी कम्पार्टमेंट को सील नहीं किया जाता है।

मॉक पोल के पश्चात का VVPAT स्लिप ड्राप बॉक्स ही वास्तविक मतदान हेतु सील किया जाता है।

मॉक पोल के परिणाम दिखा कर मतदान अभिकर्ताओं को ई.वी.एम. की कार्य प्रणाली से सन्तुष्ट करने के उपरान्त CLEAR Button दबाना है तथा TOTAL बटन दबाकर आश्वस्त करना कि मशीन में नमूने के मतदान के समय डाले गये सभी मत निरस्त हो गये है। अब मशीन में सभी उम्मीदवारों के पक्ष में शून्य मत है। CLEAR Button दबाने पर इस समय डिस्प्ले इस प्रकार होगा



1 DELETING
POLLED VOTES

2 CANDIDATES
16

3 TOTAL POLLED
VOTES - 0

4 CAND - 1
VOTES - 0

5 CAND - 2
VOTES - 0

6 CAND - 3
VOTES - 0

7 CAND - 16
VOTES - 0

8 END

नमूने मतदान हेतु काम में लिये गये बटनों का क्रम



मॉक पोल का प्रमाण पत्र



नमूने के मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होने पर आयोग के नवीन निर्देशानुसार पीठासीन अधिकारी उसे उपलब्ध कराये गये निर्धारित प्रपत्र में मॉक पोल प्रमाण-पत्र जारी करेंगे।

आयोग के नवीनतम निर्देश

(निर्वाचन विभाग परिपत्र संख्या 4082 / 25.08.2023)

पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट के रूप में यह प्रमाण पत्र पांच भागों में विभक्त किया गया है।

(PART-I MOCK POLL CERTIFICATE)

1. पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का भाग प्रथम मॉकपोल प्रमाण-पत्र कहलाता है।
2. इस प्रमाण पत्र के प्रत्येक कॉलम को सावधानी पूर्वक भरना है तथा प्रमाण पत्र में वर्णित कार्यवाही करते हुए, पॉलिग एजेन्ट्स के नाम (पार्टी सहित) अंकित करते हुए हस्ताक्षर कराने है।
3. प्रमाण पत्र पर मतदान दल के सभी सदस्यों के नाम लिखकर उनके भी हस्ताक्षर कराने है।
4. मतदान दल के कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि सम्पूर्ण कॉलम की पूर्ति उपरांत पढ़कर ही हस्ताक्षर करें।

पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग-1 मॉकपोल प्रमाण-पत्र

1. लोक सभा/विधान सभा सामान्य/उप निर्वाचन-20.....
 2. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम:-
 3. संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम :-
 4. मतदेय स्थल की संख्या तथा नाम :-
- a) -मॉकपोल का सम्पादन, एवं मॉकपोल डाटा का सत्यापन :-

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम (नोटा सहित अभ्यर्थी का नाम पूर्व मुद्रित)	मॉकपोल के दौरान डाले गए मतों की संख्या	परिणाम की जींच के समय CU में प्रदर्शित मतों की संख्या	अभ्यर्थी के फल में VVPAT की प्रिन्ट पेपर सिलप की संख्या	CU में प्रदर्शित परिणाम एवं VVPAT की प्रिन्ट पेपर सिलप का आपस में मिलान हुआ (हाँ/नहीं)	दल के सक्षिप्त नाम सहित मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.	नोटा योग					



- (b)–मॉकपोल डाटा को साफ करने के लिए CU में CLEAR बटन दबाया गया है (हाँ/नहीं)
अगर हाँ तो उपरोक्त वाक्य को स्वाही से लिखें
- (c)–मॉकपोल के परभावत समस्त प्रिन्ट पेपर स्लिप को VVPAT से बाहर निकाल लिया गया है (हाँ/नहीं)
- (d)–VVPAT का खाली ड्रॉपबॉक्स समस्त मतदान अभिकर्ताओं को दिखाया गया है (हाँ/नहीं)
- (e)–वारताधिक मतदान से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि VVPAT के ड्रॉपबॉक्स में कोई प्रिन्ट पेपर स्लिप नहीं है। एवं मतदान अभिकर्ताओं को दिखाया गया है (हाँ/नहीं)
- (f)–मतदान अभिकर्ताओं को कुल वोट "0" दिखाए जाने के लिए CU में TOTAL बटन दबाया गया है (हाँ/नहीं)
- (g)–मॉकपोल VVPAT प्रिन्ट पेपर स्लिप पर "MOCK POLL SLIP" की मोहर लगा दी गई है एवं निर्धारित काले लिफाफे/बीयोडिग्रेडेबल ओपेक्यू प्लास्टिक बॉक्स में सील करने के बाद इसे पिक पेपर से सील से सील कर दिया गया है (हाँ/नहीं)
- (h)–मॉकपोल के निम्न गवाह हैं एवं सत्यापित किया जाता है कि, मॉकपोल के मतों का मिलान कर लिया गया है एवं मॉकपोल के उपरान्त CU से मॉकपोल के मतों को साफ कर दिया गया है।

10

क्र. सं.	मतदान अभिकर्ता का नाम	दल का नाम	अभ्यर्थी का नाम	मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

- (i)– भारतीय मानक समय के अनुसार (आईएसटी) कन्ट्रोल यूनिट में समय का प्रदर्शन.....
(मिनट अधिक/कम यदि कोई हो)
- (ii)–माईक्रो ऑब्जरबर (यदि मतदेय स्थल पर तैनात है) के हस्ताक्षर

पीठासीन अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि, वास्तविक मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व समस्त मतदान कार्मिकों की उपस्थिति में यह सुनिश्चित किए जाने के लिए कि CU में कुल वोट "0" हैं, CU का TOTAL बटन दबाया गया है।

उपयुक्त टिप्पणी पर टिक (✓) करें :-

(i)– कन्ट्रोल यूनिट (CU) कुल वोट "0" प्रदर्शित करती है,

अथवा

(ii)– कन्ट्रोल यूनिट (CU) कुल वोट "0" से अधिक प्रदर्शित करती है। (अर्थात मॉकपोल के वोटस साफ नहीं हुए हैं)।

पीठासीन अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

उपरोक्त प्रक्रिया के गवाह निम्न है, एवं प्रमाणित करते हैं कि, मॉकपोल के वोट कन्ट्रोल यूनिट (CU) से मिटा दिए गए है। एवं मॉकपोल मतदान की प्रिन्ट पेपर स्लिप वास्तविक मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व वीवीपैट के ड्रॉपबॉक्स से हटा दी गई हैं।

क्र.सं.	मतदान अधिकारी का नाम	हस्ताक्षर

PRESIDING OFFICERS REPORT

(PART- II-POWER PACK REPLACEMENT IN CU)

- 1- मॉकपोल के दौरान, वास्तविक मतदान के दौरान बैटरी खराब होने की स्थिति में CU की बैटरी आयोग द्वारा बदलने के नवीन निर्देश दिये गये है।
2. बैटरी बदलने पर ही इस रिपोर्ट को भरा जाना है।
3. प्रारूप के सभी कॉलम पूर्ण भरने के साथ ही उपस्थित अभिकर्ताओं के नाम, हस्ताक्षर आदि कॉलम की पूर्ति की जायेगी।
4. इस प्रारूप को भरने पर पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर के साथ ही सेक्टर अधिकारी के भी यथास्थान पर हस्ताक्षर कराने होंगे।

भाग- II CU में पॉवर पैक (बैट्री) बदलना

**(मॉकपोल, मतदान के दौरान एवं मतदान की समाप्ति के पश्चात भरा जाना है)
(जैसी भी स्थिति हो)**

1. लोक सभा / विधान सभा सामान्य / उप निर्वाचन-20.....
2. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम:-
3. संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम :-
4. मतदाय स्थल की संख्या तथा नाम :-

(a) मॉकपोल / वास्तविक मतदान (जो लागू न हो उसे काट दें) के दौरान CU में बदले गए पॉवर पैक (बैट्री) का विवरण :-

(i) - कंट्रोल यूनिट (CU) की यूनिक आई.डी.....

(ii) - कंट्रोल यूनिट (CU) के पॉवर पैक (बैट्री) बदले जाने का कारण

(iii) - पुराने एड्रेस टैग का यूनिक आई.डी. नम्बर, जिसे कंट्रोल यूनिट (CU) में पॉवर पैक बदले जाने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा काटा गया.....

(iv) - कंट्रोल यूनिट (CU) के बैट्री सेक्शन को सील किए जाने हेतु पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रयोग किए गए नए एड्रेस टैग का यूनिक आई.डी.....

(b) निम्न मतदान अभिकर्ता कंट्रोल यूनिट (CU) के पॉवर पैक (बैट्री) बदले जाने के गवाह हैं:-

क्र. सं.	मतदान अभिकर्ता का नाम	दल का नाम	अभ्यर्थी का नाम	मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

एक से अधिक बार बदलने (Replacement) पर उपरोक्त सूचना समान प्रारूप पर दोहरानी/तैयार करनी होगी

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

सेक्टर मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर



PRESIDING OFFICERS REPORT

PART-III

PRESSING OF CLOSE BUTTON AFTER COMPLETION OF POLL

1. मतदान समाप्ति पर **CU** का **CLOSE BUTTON** दबाने के बाद यह प्रारूप अनिवार्यतः भरा जाना है।
2. इस प्रारूप में पीठासीन अधिकारी सहित मतदान दल के समस्त कार्मिकों के नाम व हस्ताक्षर कराये जायेंगे।
3. उपस्थित अभिकर्ताओं के नाम के साथ दल /अभ्यर्थी का नाम अंकित करते हुए हस्ताक्षर कराये जायेंगे।

मतदान की समाप्ति पर क्लोज बटन को दबाया जाना

1. लोक सभा/विधान सभा सामान्य/उप निर्वाचन-20.....
2. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम:-
3. संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम :-
4. मतदान का दिनांक :-
5. मतदेय स्थल की संख्या तथा नाम :-

प्रमाणित किया जाता है कि, मेरे द्वारा मतदान की समाप्ति के पश्चात CU का क्लोज बटन (Close Buton) निम्न की उपस्थिति में दबाया गया है :-

क्र.सं.	मतदान अधिकारी का नाम व पदनाम	हस्ताक्षर

क्र.सं.	मतदान अभिकर्ता का नाम	दल का नाम/निर्दलीय	अभ्यर्थी का नाम	मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

Part-I, Part-II and Part-III of the Presiding officer's report shall be kept in an envelope..

Details to be printed on envelope

Name of Election.....	(to be printed)
No. and Name of AC/AS.....	(to be printed)
No. And Name of PC:.....	(to be printed)
Polling station No:.....	

इस लिफाफे को संग्रहण केन्द्र पर EVM, VVPAT के साथ ही काउन्टर नम्बर 1 पर रिटर्निंग अधिकारी को जमा करायेगें।

PRESIDING OFFICERS REPORT

PART-IV

(EVM/VVPAT Replacement During Mock poll)

- 1- मॉकपोल के समय इस फार्मेट के सभी कॉलम की पूर्ति करते हुए पीठासीन अधिकारी द्वारा भरा जाएगा
2. मॉकपोल के दौरान सेक्टर अधिकारी द्वारा ईवीएम मशीन रिप्लेसमेंट करने पर सेक्टर अधिकारी के भी हस्ताक्षर कराए जाएंगे।
3. उपस्थित पॉलिंग एजेंट का नाम मय दल / अभ्यर्थी का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षर भी कराएंगे।

भाग-IV EVM, VVPAT बदलना
(मौकपोल के दौरान भरा जायेगा यदि कोई मशीन बदली गई हो)
(जैसी भी स्थिति हो)

1. लोक सभा / विधान सभा सामान्य / उप निर्वाचन-20.....
2. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम:-
3. संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम :-
4. मतदेय स्थल की संख्या तथा नाम :-
1. (a) प्रयोग में लाई गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एवं वीवीपैट का विवरण :-

(BU बैलेटिंग यूनिट, CU कन्ट्रोल यूनिट, VVPAT वोटर वैरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल)

क्र. सं.	विवरण	बैलेट यूनिट (BU)	कन्ट्रोल यूनिट (CU)	वीवीपैट (VVPAT)	बदले जाने (Replecement) की स्थिति में सेक्टर मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर
1.	वितरण के समय उपलब्ध कराई गई इकाई की यूनिट आई.डी.				
2.	(क) - मौकपोल के दौरान जो अक्रियशील पाई गई उसे टिक (✓) करें। (ख) - अक्रियशीलता का कारण (कन्ट्रोल यूनिट (CU) में प्रदर्शित त्रुटि/कोड का उल्लेख करें)	1			
3.	मौकपोल के दौरान बदले जाने (Replecement) पर दी गई इकाई की यूनिट आई.डी.				

(b) निम्न मतदान अभिकर्ता, बदले जाने (Replecement) की प्रक्रिया के गवाह हैं:-

क्र. सं.	मतदान अभिकर्ता का नाम	दल का नाम	अभ्यर्थी का नाम	मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

PRESIDING OFFICERS REPORT

PART-V

(EVM/VVPAT Replacement During Poll and after completion of Poll depending on Case/Situation)

- 1- इस फॉर्मेट का उपयोग वास्तविक मतदान के समय बीयू/सीयू /वीवीपैट के बदलने पर किया जाएगा।
2. इस फॉर्मेट में पीठासीन अधिकारी द्वारा समस्त कॉलम को भरने के बाद सेक्टर अधिकारी के हस्ताक्षर भी करवाए जाएंगे साथ ही उपस्थित अभिकर्ताओं के नाम, दल/अभ्यर्थी के नाम लिखते हुए हस्ताक्षर कराए जाएंगे।

भाग- V

EVM & VVPAT बदलना

(मतदान के दौरान या मतदान की समाप्ति के पश्चात भरा जाना है)
(जैसी भी स्थिति हो)

1. लोक सभा / विधान सभा सामान्य / उप निर्वाचन-20.....
2. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम:-
3. संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम :-
4. मतदेय स्थल की संख्या तथा नाम :-

(a) वास्तविक मतदान प्रक्रिया के दौरान EVM & VVPAT बदलना :-

क्र.स.	विवरण	BU	CU	VVPAT
1.	(a) वास्तविक मतदान के दौरान अक्रियाशील पाई गई इकाई/इकाइयों की युनिक आई.डी.।			
	(b) त्रुटि परिलक्षित होने का समय।			
	(c) इकाई/इकाइयों के अक्रियाशील पाए जाने के समय तक CU में रिकॉर्ड मतों की संख्या।			
	(d) अक्रियाशीलता का कारण (CU में प्रदर्शित त्रुटि/कोड का उल्लेख करें)।			
	(e) बीप (Beep) की आवाज सुनाई देती है		हाँ / नहीं	
	(f) बदलने में (Repelecement) में उपलब्ध कराई गई नई इकाई/इकाइयों की युनिक आई.डी.।			
	(g) मतदान पुनः प्रारम्भ होने का समय।			
2.	टिप्पणी, यदि कोई हो।			

(b) निम्नलिखित मतदान अभिकर्ता वास्तविक मतदान के दौरान बदलने (Repelecement) की प्रक्रिया के गवाह हैं:-

क्र. स.	मतदान अभिकर्ता का नाम	दल का नाम	अभ्यर्थी का नाम	मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

एक से अधिक बार बदलने (Repelecement) पर उपरोक्त सूचना समान प्रारूप पर दोहरानी/तैयार करनी होगी

PRESIDING OFFICERS REPORT

- 1. Report of Part-IV and Part V Shall be collected by Sector officer**
- 2. Sector officer shall submit the said report to returning officer**


वास्तविक मतदान के लिए तैयारी

अति महत्वपूर्ण

1. **CU** को मॉक पोल के बाद **CLEAR** कर दिया गया है।
2. यह भी सुनिश्चित करें कि **VVPAT** के **Slip Drop Box** की **MOCK POLL Slips** निकाल कर **Drop Box** सील कर दिया गया है।

EVM की सीलिंग

कन्ट्रोल यूनिट वास्तविक मतदान के लिए तैयार करना



ग्रीन पेपर सील

परिणाम खण्ड के आन्तरिक द्वार के फ्रेम में ग्रीन पेपर सील को इस प्रकार लगाया जाये कि दरवाजा बन्द करने पर सील पर अंकित हरा निशान रिजल्ट सेक्शन पर व लाल निशान प्रिन्ट सेक्शन पर बाहर विंडो से दिखाई दे।

ग्रीन पेपर सील के पीछे एक गत्ता मजबूती प्रदान करने के लिए भी लगाये।

कन्ट्रोल यूनिट वास्तविक मतदान के लिए तैयार करना



आन्तरिक द्वार के कवर को बन्द कर दें तथा यह सुनिश्चित करें कि ग्रीन पेपर सील के दोनों किनारे बाहर की ओर निकल रहे हैं जैसा कि दिखाया गया है।

पीठासीन अधिकारी ग्रीन पेपर सील पर क्रमांक के नीचे अपने हस्ताक्षर करेंगे।


अभ्यर्थी अथवा उनके मतदान अभिकर्ताओं को भी उस पर हस्ताक्षर करने को कहें यदि वे ऐसा करना चाहे तो उन सभी के हस्ताक्षर ग्रीन पेपर सील पर करावें।

उपयोग में ली गई ग्रीन पेपर सील का क्रम संख्या मतपत्र लेखा प्रपत्र 17 ग में नोट कर लें।

स्पेशल टैग



- कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के भीतरी द्वार को सील करने के लिए स्पेशल टैग का प्रावधान है।
- प्रत्येक स्पेशल टैग पर एक विशिष्ट क्रम संख्यांक सामने की तरफ नीचे अंकित है जो 00001 से 99999 हो सकते हैं। राज्य का कोड (आर.जे.—राजस्थान) क्रम संख्यांक के आगे लिखा होगा।
- स्पेशल टैग का क्रम संख्या अभ्यर्थी/मतदान अभिकर्ताओं को नोट करने दें।
- सी.यू. नम्बर.....क्रम संख्यांक के ऊपर छपा है, जहाँ पीठासीन अधिकारी कंट्रोल यूनिट का पहचान नम्बर स्पेशल टैग पर लिखेगा।

स्पेशल टैग के सामने का भाग



स्पेशल टैग

- टैग के पिछले भाग पर पीठासीन अधिकारी एवं अभ्यर्थी/ मतदान अभिकर्ता जो मतदान केन्द्र पर मौजूद है, हस्ताक्षर करेंगे।
- प्रत्येक मतदान केन्द्र पर दो या तीन विशेष टैग दिये जायेंगे।
- धागे को स्पेशल टैग की धातु रिंग में से निकाल कर गाँठ लगाए एवं स्पेशल टैग पर गाँठ को चपड़ी की सहायता से सील कर पीठासीन अधिकारी की मोहर लगावें।




क्लोज बटन पर सील्ड स्पेशल टैग को रखना

परिणाम खण्ड को सील करने के बाद क्लोज बटन पर स्पेशल टैग का कटा हुआ भाग इस प्रकार फिट करें कि क्लोज बटन दिखता रहे।

सीलिंग के पश्चात् स्पेशल टैग को क्लोज बटन पर समायोजित कर दें।


क्लोज बटन स्पेशल टैग के कटे हुये भाग से दिखना चाहिये।




स्पेशल टैग

कन्ट्रोल यूनिट – क्लोज बटन पर फिक्स किया हुआ स्पेशल टैग


स्पेशल टैग



परिणाम खण्ड के बाहरी द्वार को बन्द कर एड्रेस टेग लगा कर सील किया जायेगा।



ग्रीन पेपर सील के **A** भाग के स्टीकर को हटा कर रिजल्ट सेक्शन के बाहरी दरवाजे पर चिपका दिया जाये तथा इस पर **B** भाग के स्टीकर को हटा कर इस प्रकार चिपका दिया जाये कि ग्रीन पेपर सील का क्रमांक ऊपर से दिखाई दे।



VVPAT के खाली स्लिप कम्पार्टमेन्ट को सील किया जायेगा।



वास्तविक मतदान प्रारम्भ करने से पूर्व – मुख्य बिन्दु



- नियंत्रण यूनिट के पीछे के भाग को खोलकर पॉवर स्विच ऑन करें।
- **TOTAL** बटन दबाकर यह सुनिश्चित करें एवं उपस्थित अभिकर्ताओं को दर्शायें कि वास्तविक मतदान से पहले इस में कोई मत दर्ज नहीं हैं।

वास्तविक मतदान प्रारम्भ करने से पूर्व –

मुख्य बिन्दु

आयोग द्वारा जारी नवीनतम निर्देश के अनुसार वास्तविक मतदान प्रारम्भ करने से पूर्व प्रथम मतदान अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से मतदाता रजिस्टर Form 17-A में निम्नांकित प्रमाण पत्र अंकित किया जाएगा

Certificate

“ Total in Control Unit checked and found to be zero.

मतदान के प्रारम्भ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा –

- मतदान ठीक नियत समय पर प्रारम्भ होगा, जिसके पूर्व सारी तैयारियां पूर्णकर पीठासीन अधिकारी एक विहित प्ररूप मे घोषणा पढ़कर सुनायेगा और हस्ताक्षर करेगा व उपस्थित अभिकर्ताओं से भी हस्ताक्षर करने हेतु कहेगा ।

भाग-1

मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा।

.....संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन।

मतदेय स्थल की संख्या तथा नाम.....

मतदान का दिनांक

मैं, घोषणा करता हूँ कि,

- (1) कि मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष प्रदर्शित किया है कि,
 - (क)- दिखावटी मतदान आयोजित करके कि वोटिंग मशीन पूर्णतया चालू हालत में है और उसमें पहले से कोई मत रिकार्ड नहीं किया गया है;
 - (ख)- मतदान के दौरान उपयोग में ली जाने वाली निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में डाक मतपत्र और निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के सिवाय कोई भी चिन्ह नहीं है;
 - (ग)- मतदान के दौरान प्रयुक्त किए जाने वाले मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप-17क) पर किसी भी निर्वाचक के संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं है।
- (2) कि मैंने वोटिंग मशीन के कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त पेपर सील/सीलों पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं, और उस पर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करवा लिए हैं जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।
- (3) कि मैंने स्पेशल टैग पर कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या लिखा दी है और मैंने स्पेशल टैग के पीछे की तरफ अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और उस पर अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी प्राप्त कर लिए हैं, जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।
- (4) कि मैंने स्ट्रिप्सील पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और उस पर अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी प्राप्त कर लिए हैं, जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।
- (5) यह कि मैंने स्पेशल टैग पर पहले से छपी क्रम संख्या पढ़ दिया है तथा उपस्थित अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं से क्रम संख्या नोट करने का कह दिया है।

हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी.....

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर:—

- 1—(.....अभ्यर्थी का)..... 2— (.....अभ्यर्थी का).....
3—(.....अभ्यर्थी का)..... 4— (.....अभ्यर्थी का).....
5—(.....अभ्यर्थी का)..... 6— (.....अभ्यर्थी का).....
7—(.....अभ्यर्थी का)..... 8— (.....अभ्यर्थी का).....
9—(.....अभ्यर्थी का)..... 10—(.....अभ्यर्थी का).....


निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करने से इन्कार किया:—

- 1—(.....अभ्यर्थी का)..... 2— (.....अभ्यर्थी का).....
3—(.....अभ्यर्थी का)..... 4— (.....अभ्यर्थी का).....
5—(.....अभ्यर्थी का)..... 6— (.....अभ्यर्थी का).....

दिनांक

हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी.....


मतदान के दौरान बैलट यूनिट व VVPAT की स्थिति



मतदान यूनिट व VVPAT को मतदान कक्ष में रखें तथा नियंत्रण यूनिट को तृतीय मतदान अधिकारी की मेज पर रखें।

बैलट यूनिट ● VVPAT मतदान के समय वोटिंग कम्पार्टमेन्ट में इस प्रकार रखी जाएगी कि बैलेट यूनिट VVPAT के दांयी ओर रहे तथा मत अंकन की गोपनीयता बनी रहे।

मतदान के दौरान बैलट यूनिट की स्थिति



चित्र में बैलट यूनिट के दायें ऊपरी सिरे पर छेद में 01 का अंक दिखाई पड़ रहा है। इस अंक का तात्पर्य मतदान में प्रयुक्त की जाने वाली बैलट मशीन की क्रम संख्या से है। एक बैलट यूनिट में 16 या उससे कम उम्मीदवारों के लिये मतदान कराया जा सकता है। 16 से अधिक उम्मीदवार होने पर अतिरिक्त बैलट यूनिट काम में लाई जाती है तब ऐसी अतिरिक्त यूनिट में क्रम संख्या 02 अंकित होगी।


इसी चित्र में बांयी ओर आपको "रैडी" लिखा हुआ एवं हरी बत्ती दिखाई पड़ रही है इसका तात्पर्य है कि बैलट यूनिट मतदान के लिये तैयार है अर्थात् इसमें मत अंकित किया जा सकता है तथा नीले बटन को दबाकर मत अंकित करने के पश्चात यह हरी बत्ती बुझ जावेगी।

मतदान प्रारम्भ

VVPAT के नाँब को वर्टिकल कर ई.वी.एम. के स्विच को ऑन करें।



हरी बत्ती



लाल बत्ती

इससे बैलट यूनिट कन्ट्रोल यूनिट व VVPAT चालू हो जावेंगे तथा कन्ट्रोल यूनिट के डिस्प्ले स्क्रीन के पास हरी बत्ती एवं लाल बत्ती जल जाएगी तथा प्रदर्शन खण्ड में सूचनाएं प्रदर्शित हो जायेगी। इसी समय में सिस्टम की स्वतः जांच होगी व जांच की 7 स्लिप प्रिंट होंगी।

CU में सूचनाओं का प्रदर्शन



(1) ई वी एम ऑन




(2) LED जांच



(3) EVM के द्वारा स्वयं की जांच



(4) दिनांक और समय



(5) CU क्रमांक



(6) उम्मीदवारों की संख्या



(7) बैटरी की क्षमता



(8) EVM के भागों की खोज



(9) BU पाई गई



(10) BU 1 है VVPAT 1 है



(11) BU की जांच



(12) VVPAT की जांच



(13) VVPAT 1 ठीक है




(14) EVM तैयार है

अति महत्वपूर्ण

- वास्तविक मतदान प्रारम्भ करने से पूर्व सभी अभिकर्ताओं को ई.वी.एम. का टोटल बटन दबाकर यह सुनिश्चित करावें कि ई.वी.एम. की मेमोरी में अभी कोई मत नहीं है।

मतदान प्रक्रिया




- पीठासीन अधिकारी / मतदान अधिकारी नियंत्रण यूनिट के बैलट बटन को दबाकर मतदान यूनिट को सक्रिय करेगा तथा मतदाता को मतदान के लिए मतदान कक्ष में भेजेगा।

मतदान प्रक्रिया



- बैलट बटन दबाते ही कन्ट्रोल यूनिट का लाल रंग का बिजी लैम्प ऑन हो जायेगा, साथ ही मतदान यूनिट का हरे रंग का रेडी लैम्प भी ऑन हो जायेगा।

रेडी लैम्प



बिजी लैम्प



मतदान प्रक्रिया



- मतदान कक्ष में मतदाता अपनी पसन्द के उम्मीदवार के नाम व प्रतीक चिन्ह के सम्मुख उम्मीदवार के नीले बटन को दबाएगा।
- जब नीले बटन को दबाएँगे तब उम्मीदवार के नाम तथा प्रतीक चिन्ह के सामने लाल बत्ती ऑन हो जायेगी। इसी समय VVPAT के डिस्प्ले सेक्शन में मतदाता द्वारा दिये ये उम्मीदवार का क्रमांक, नाम और चुनाव चिन्ह प्रदर्शित होंगे। 7 सेकेन्ड के बाद स्लिप कट कर नीचे ड्राप बाक्स में गिर जायेगी और कंट्रोल यूनिट से बीप की आवाज सुनाई देगी इस प्रकार मत देने की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी।

BU, CU का बिजी लैम्प अब ऑफ हो जायेगा । यह प्रक्रिया मतदान समाप्ति तक दोहराई जायेगी ।

नियंत्रण यूनिट के पाँवर स्विच को मतदान के दौरान ऑफ नहीं करें ।

मतदान समाप्ति के समय तक यह प्रक्रिया जारी रहेगी ।

आयोग द्वारा निर्धारित मतदान समाप्ति के समय तक मतदान केन्द्र में प्रवेश लेने वाले सभी मतदाताओं को मतदान करवाया जायेगा इस हेतु पंक्ति में खड़े अन्तिम मतदाता से प्रारम्भ करते हुए सभी मतदाताओं को नम्बर पर्ची बांटी जायेगी ।

इन बटी हुई पर्चियों के अतिरिक्त अगर कोई मतदाता समय के बाद में आता है तो उसे मत देने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

यदि मतदान के दौरान दूसरी ई.वी.एम. सैट का उपयोग करना पड़े तो: –

1. मॉक पोल की प्रक्रिया पुनः की जाएगी एवं प्रत्येक अभ्यर्थी को 1–1 वोट दिया जाएगा।
2. पीठासीन अधिकारी द्वारा भाग–2 में इस सम्बन्ध में घोषणा की जाएगी।



पीठासीन अधिकारी द्वारा पश्चातवर्ती वोटिंग मशीन के उपयोग यदि कोई हो, के समय घोषणा।

.....संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन।
मतदेय स्थल की संख्या तथा नाम.....
मतदान का दिनांक

मैं, घोषणा करता हूँ कि,

- (1) कि मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष प्रदर्शित किया है कि,
 - (क)– दिखावटी मतदान आयोजित करके कि वोटिंग मशीन पूर्णतया चालू हालत में है और उसमें पहले से कोई मत रिकार्ड नहीं किया गया है;
 - (ख)– मतदान के दौरान उपयोग में ली जाने वाली निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में डाक मतपत्र और निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के सिवाय कोई भी चिन्ह नहीं है;
 - (ग)– मतदान के दौरान प्रयुक्त किए जाने वाले मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप-17क) पर किसी भी निर्वाचक के संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं है।
- (2) कि मैंने वोटिंग मशीन के कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त पेपर सील/सीलों पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं, और उस पर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करवा लिए हैं जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।
- (3) कि मैंने स्पेशल टैग पर कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या लिखा दी है और मैंने स्पेशल टैग के पीछे की तरफ अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और उस पर अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी प्राप्त कर लिए हैं, जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।
- (4) कि मैंने रिट्रसील पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और उस पर अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी प्राप्त कर लिए हैं, जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।
- (5) यह कि मैंने स्पेशल टैग पर पहले से छपी क्रम संख्या पढ़ दिया है तथा उपस्थित अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं से क्रम संख्या नोट करने का कह दिया है।



हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी.....

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर:-

- 1-(.....अभ्यर्थी का)..... 2- (.....अभ्यर्थी का).....
3-(.....अभ्यर्थी का)..... 4- (.....अभ्यर्थी का).....
5-(.....अभ्यर्थी का)..... 6- (.....अभ्यर्थी का).....
7-(.....अभ्यर्थी का)..... 8- (.....अभ्यर्थी का).....
9-(.....अभ्यर्थी का)..... 10-(.....अभ्यर्थी का).....

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करने से इन्कार किया:-

- 1-(.....अभ्यर्थी का)..... 2- (.....अभ्यर्थी का).....
3-(.....अभ्यर्थी का)..... 4- (.....अभ्यर्थी का).....
5-(.....अभ्यर्थी का)..... 6- (.....अभ्यर्थी का).....

दिनांक

हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी.....

मतदान समाप्ति पर की जाने वाली घोषणाएं



1. मतदान समाप्ति के समय तक मतदान केन्द्र पर उपस्थित सभी मतदाताओं से मतदान कराया जायेगा। इसके लिए पंक्ति में लगे मतदाताओं को पीछे से क्रमांकित पर्ची की सहायता से मतदान हेतु अनुमत किया जाएगा।
2. मतदान पूर्ण होने पर मतदान समाप्ति की घोषणा मतदान अभिकर्ताओं के सम्मुख की जायेगी तथा घोषणा पर पीठासीन अधिकारी के साथ-साथ मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी लिये जायेंगे।

वास्तविक मतदान को बन्द करना

मतदान समाप्ति



इसके बाद "टोटल" का बटन दबाकर पुनः कुल डाले गये मतों की संख्या का मिलान कर लें तथा उपस्थित अभिकर्ताओं को भी वह संख्या दिखा दें एवं इस संख्या का रजिस्टर-17(क) में अंकित संख्या से मिलान कर लें।

मतदान की प्रक्रिया के दौरान भी किसी भी समय "टोटल" का बटन दबाकर उस समय भी डाले गये कुल मतों की संख्या ज्ञात की जा सकती है।

मतदान समाप्ति








- मतदान केन्द्र पर अंतिम मतदाता के मतदान करने के बाद मतदान समाप्ति के लिए नियन्त्रण यूनिट पर लगी काले रंग की रबड सील को हटा कर छिद्र में अंगुली की सहायता से काले रंग का क्लोज बटन दबाये।



कंट्रोल यूनिट



- क्लोज बटन दबाने पर निम्न सूचनाएं डिस्प्ले होंगी।



मतदान समाप्ति



- इसके बाद कन्ट्रोल यूनिट के पिछले हिस्से का ढक्कन पुनः खोलकर स्विच को ऑफ पॉजिशन पर ले आवें तथा लिंकिंग केबल का प्लग दोनो तरफ के लीवर दबाकर बाहर खींच लें।
- इसके बाद कन्ट्रोल यूनिट के पिछले ढक्कन को पुनः बन्द कर दें एवं अब इसे धागा बांधकर चपड़ी से सील कर दें।
- VVPAT के नोब को HORIZONTAL अवस्था में कर दें।

मतदान मशीन को मुहरबन्द करना



1. मतदान समाप्ति के पश्चात् मतदान मशीन में रिकॉर्ड किये गये मतों का लेखा प्रारूप 17-ग में तैयार कर इसकी प्रतियां उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को देंगे तथा उनके हस्ताक्षर घोषणा के भाग-3 पर प्राप्त करेंगे जो अभिकर्ता हस्ताक्षर करने से इन्कार करता है उनके नाम भी भाग -3 में लिखे जायेंगे।
2. पीठासीन अधिकारी द्वारा मशीन को मुहरबन्द किया जायेगा।
3. प्रत्येक कैरिंग बॉक्स के दोनों तरफ इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध दो छिद्रों में से एक धागा डालकर एड्रेस टैग पर उसमें अन्तर्विष्ट यूनिट की विशिष्टियां दर्शाते हुये पीठासीन अधिकारी की मोहर सहित धागे को मुहर बन्द करें।
4. अभ्यर्थी या उनके मतदान अभिकर्ता जो उपस्थित हों एवं अपनी मोहर लगाने के इच्छुक हो उन्हें मोहर लगाने के लिए अनुज्ञात किया जायें।

भाग-III मतदान के अन्त में घोषणा

मैंने उन मतदान अभिकर्ताओं को, जो मतदान बन्द होने के समय मतदान केन्द्र में उपस्थित थे और जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किये हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 ध (2) के अधीन यथा-अपेक्षित प्ररूप 17 (ग) के भाग-I रिकॉर्ड किये गये मतों का लेखा में प्रत्येक प्रविष्टि की एक-एक अनुप्रमाणित प्रति दे दी है।

तारीख

हस्ताक्षर

समय

पीठासीन अधिकारी

रिकॉर्ड किये गये मतों के लेखों (प्रारूप 17-ग का भाग-I) में की गई प्रविष्टियों की एक अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त की।

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर :-

1. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
2. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
3. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
4. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
5. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)

6. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
7. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
8. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
9. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने, जो मतदान बन्द होने के समय उपस्थित थे, प्ररूप 17-ग के भाग-I की एक अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त करने और उसकी रसीद देने से इन्कार कर दिया है। अतः उन्हें उक्त प्ररूप की एक अनुप्रमाणित प्रति नहीं दी गई है।

1. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
2. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
3. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
4. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
5. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
6. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
7. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
8. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
9. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)

तारीख

समय

हस्ताक्षर

पीठासीन अधिकारी

मतदान समाप्ति



- **BU, CU, VVPAT** को पृथक-पृथक कैरिंग बॉक्स में रखें।
- कैरिंग बॉक्सों को मोहर बन्द करें तथा एड्रेस टैग लगावें।
- मोहरबन्द बॉक्सों को रिटर्निंग आफिसर के यहां जमा करायें।

(4)

भाग-IV

मतदान मशीन को मुहरबन्द करने के पश्चात् घोषणा

मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट के कैरिंग केसों पर मैंने मेरी मुद्रा लगा दी है, और उन मतदान अभिकर्ताओं को, जो मतदान के अन्त में मतदान केन्द्र में उपस्थित थे, उनकी मुद्रा लगाने की अनुज्ञा दे दी है।

तारीख

हस्ताक्षर

समय

पीठासीन अधिकारी

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने अपनी मुद्रा लगा दी है।

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर :

-
1. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
 2. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)



023

3. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
4. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
5. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
6. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने मुद्रा लगाने से इन्कार कर दिया या मुद्रा लगानी नहीं चाही :-

1. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
2. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
3. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
4. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)

तारीख

हस्ताक्षर

समय

पीठासीन अधिकारी

मतदान समाप्ति पर मतदाता रजिस्टर (17-क) के अन्त में प्रमाण पत्र



मतदान के अन्त में पीठासीन अधिकारी मतदाता रजिस्टर में दर्ज अन्तिम मतदाता की प्रविष्टि के नीचे प्रमाण पत्र अंकित करेगा कि कितने मतदाताओं ने वोट दिये हैं।

विशेष – इस प्रमाण-पत्र में यह भी प्रमाणित किया जाना है कि ASD सूची में से कितने मतदाताओं को उचित जांच के बाद मतदान के लिए अनुज्ञात किया गया

इस प्रमाण पत्र पर वह अपने हस्ताक्षर करेगा तथा उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के भी हस्ताक्षर करवायेगा।

मतपत्र लेखा तैयार करना

मतों के लेखे (प्ररूप 17-ग) की प्रति –

- मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद कंट्रोल यूनिट में रिकार्ड किये गये मतों का लेखा विहित प्ररूप 17-ग में पीठासीन अधिकारी बनायेगा। मतदाता रजिस्टर व चिन्हित मतदाता सूची से भी इसका मिलान किया जायेगा।
- उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को मतों के लेखे की एक-एक सत्यापित प्रति दी जायेगी। यदि कोई अभिकर्ता उक्त प्रति लेने से इन्कार करता है तो पीठासीन अधिकारी अपनी घोषणा में अंकन करेगा।



प्रारूप 17 C
(नियम 49 B और 56 C (2) देखिए)

भाग- I. रिकार्ड किये गये मतों का लेखा

.....निर्वाचन क्षेत्र से.....लोक सभा/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की
विधानसभा के लिए निर्वाचन.....

मतदेय स्थल की संख्या तथा नाम:-

मतदेय स्थल पर प्रयुक्त वोटिंग मशीनों की पहचान संख्या :

कन्ट्रोल यूनिट.....

बैलेट यूनिट.....

VVPAT.....

1. मतदेय स्थल पर नियत निर्वाचकों की कुल संख्या :-
2. मतदाताओं के लिये रजिस्टर (प्रारूप 17क) में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या :-
3. नियम 49-O के अधीन मत अभिलिखित न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या:-
4. नियम 49-M के अधीन मतदान के लिये अनुज्ञात न करने वाले मतदाताओं की संख्या :-
5. नियम 49MA (d) के अधीन रिकार्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी :

(a) घटाये जाने वाले परीक्षण मतों की संख्या :-

कुल संख्या प्राारूप 17A में मतदाता (ओं) की क्रम संख्या

.....

.....

(b) अभ्यर्थी (यों) जिनके लिए परीक्षण मत डाले गये :

क्रमांक

अभ्यर्थी(यों) का नाम

मतों की संख्या

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. वोटिंग मशीन के अनुसार रिकार्ड किये गये मतों की कुल संख्या:-
 7. क्या मद 6 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मद 2 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या घटा-मद 3 के सामने दर्शित मत अभिलिखित न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या घटा-मद 4 के सामने मतदाताओं की संख्या: (2-3-4) से मेल करती है या इसमें कोई फर्क पाया गया है
 8. उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निविदत्त मत पत्र नियम 49-P के अधीन जारी किये गये:-
 9. निविदत्त मतपत्रों की संख्या
- | | कुल | क्र.स. | से | तक |
|---------------------------------|-------|--------|----|----|
| (a) प्रयोग के लिए प्राप्त | | | | |
| (b) निर्वाचकों को जारी किये गये | | | | |
| (c) अप्रयुक्त और वापिस किये गये | | | | |

10. पेपर सीलों का लेखा क्रम संख्यांक

7

मतदान अधिकर्ता का हस्ताक्षर

- | | |
|--|--------|
| 1. प्रदान की गयी पेपर सील की क्रम कुल संख्या..... | 1..... |
| क्र.स.....से.....तक | |
| 2. प्रयुक्त किये गये पेपर सील की कुल संख्या..... | 2..... |
| क्र.स.....से.....तक | |
| 3. रिटर्निंग ऑफिसर को वापिस की गयी अप्रयुक्त पेपर कुल संख्या | 3..... |
| क्र.स.....से.....तक | |
| 4. क्षतिग्रस्त पेपर सील की कुल संख्या यदि कोई हो..... | 4..... |
| क्र.स.....से.....तक | 5..... |
| | 6..... |

स्थान

तारीख.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

मतदेय स्थल की संख्या—

PS 05



28

ECI Form ID
PS 05

Election Commission Of India
Lok Sabha/Assembly General/Bye Election- 20.....



**VOTER TURNOUT REPORT FOR POLLING STATION
(AS PER ITEM 5 FORM 16/17C*)
FOR ASSEMBLY CONSTITUENCY**

A) State/UT Code & Name: S28 UTTARAKHAND	B) Parliamentary Constancy No. & Name:
C) Assembly Segment No. & Name:-	D) No. & Name of Polling Station:
E) Date of Poll:	F) No. of EVMs Use (Control Unit) :

1.	Total No. of Electors.	Male	Female	Third Gender	TOTAL
2.	Voter turnout, that is, Ballot Papers/ votes* to be Found in the EVM * as per Item 5 of form 16/17C*, Conduct of Election Rules' 1961	Male: -			(%)
		Female:-			(%)
		Third Gender:-			(%)
		TOTAL:-			(%)
		No. of Tendered Ballot Papers			

For States/UTs where use of EPICs is mandatory:-

3.	Number of Voters who were identified with help of Electors Photo Identity Cards (EPICs). (As per Register of Voters Form 17A)	
4.	Number of Voters who were identified using other Identification Documents.	

I authenticate the data given above and certify that copies of filled Form 16 / 17C have been handed over to Polling Agents after close of Poll.

(Presiding Officer's Signature)

For use in Collection Centre:
Date & Time of receipt at the Collection Centre:
Signature of Officer-Charge Of Collection Centre:

Note; The RO has to make an arrangement for a suitable counter at collection Centre where each Polling party will first hand over this form before the ballot boxes/EVMs are received. Data from format will be transcribed to Form A05. A copy of the Data in Form A05. Will be given to one of the observers for being attached to his/her second report. A Summary of this in Form P05 will also be given to one of the observers. This copy is to be handed over to the Officer-in Charge of Collection Centre Where Polled EVM are to be deposited.

पीठासीन अधिकारी की डायरी



अनुबंध XIV
[अध्याय 33, पैरा-1]
पीठासीन अधिकारी की डायरी

1. निर्वाचन क्षेत्र का नाम [बड़े अक्षरों में]:
2. मतदान की तिथि
3. मतदान केन्द्र की संख्या व नाम:
क्या यह—
क) सरकारी या अर्द्ध-सरकारी भवन में स्थित है;
ख) निजी भवन में स्थित है
ग) अस्थायी ढांचा है;
4. स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या, यदि कोई हैं:
5. विधिवत् रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी, यदि कोई है, की अनुपस्थिति में बनाए गए मतदान अधिकारी की नियुक्ति और ऐसी नियुक्ति के कारण:
6. इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन—
क) प्रयुक्त कंट्रोल यूनिटों की संख्या:
ख) प्रयुक्त कंट्रोल यूनिटों की कम संख्या (ए):
ग) प्रयुक्त बैलेटिंग यूनिटों की संख्या:
घ) प्रयुक्त बैलेटिंग यूनिटों की कम संख्या:
7. क) प्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या:
ख) प्रयुक्त पेपर सीलों की कम संख्याएं:
- 7क. क) आपूर्ति किए गए विशेष टैगों की संख्या:
ख) आपूर्ति किए गए विशेष टैगों की कम संख्या (ए):
ग) प्रयुक्त विशेष टैगों की संख्या:
घ) प्रयुक्त विशेष टैगों की कम संख्या (ए):
ड.) अप्रयुक्त वापिस किए गए विशेष टैगों की कम संख्या (ए)
- 7ख. क) आपूर्ति की गई स्ट्रिप सीलों की संख्या:
ख) आपूर्ति की गई स्ट्रिप सीलों की कम संख्या (ए):
ग) प्रयुक्त स्ट्रिप सीलों की संख्या:
घ) प्रयुक्त स्ट्रिप सीलों की कम संख्या (ए):
ड.) अप्रयुक्त वापिस की गई स्ट्रिप सीलों की कम संख्या (ए):

- 7ग. (केवल उन्हीं मतदान केन्द्रों के लिए जहां वी.वी.पी.ए.टी. का प्रयोग किया गया है।
क) प्रयुक्त प्रिंटरों की संख्या:
ख) प्रिंटर (रों) की कम संख्या (ए):
8. मतदान केन्द्रों पर मतदान अभिकर्ताओं को नियुक्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या:
9. क) मतदान के प्रारंभ पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या:
ख) देर से पहुंचने वाले मतदान अभिकर्ताओं की संख्या:
ग) मतदान की समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या:
10. क) मतदान केन्द्र के लिए विनिश्चित मतदाताओं की कुल संख्या:
ख) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रतिलिपि के अनुसार मतदान करने के लिए अनुमत निर्वाचकों की संख्या:
ग) मतदाताओं के रजिस्टर (फार्म 17-क) में यथा प्रविष्ट निर्वाचकों की कुल संख्या:
घ) वोटिंग मशीन की अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या:
ड.) मतदान रिकॉर्ड न करने का निर्णय लेने वाले मतदाताओं की संख्या, यदि कोई है:

प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर

मतदाताओं के रजिस्टर के
प्रभारी मतदाता अधिकारी के
हस्ताक्षर

11. मतदान करने वाले निर्वाचकों की संख्या—
पुरुष.....
महिला.....
थर्ड जेंडर.....
कुल.....
12. चुनींतीयुक्त मत—
अनुमत संख्या.....
अस्वीकृत संख्या.....
जब्त धनराशि रु.....
13. उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाणपत्र (ई डी सी) प्रस्तुत करने पर मतदान किया:
- 13क. उन अप्रवासी निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मतदान किया:

14. उन निर्वाचको की संख्या जिन्होंने सहयोगियों की मदद से मतदान किया:
15. परोक्षी द्वारा डाले गए मतों की संख्या:
16. निविदत्त मतों की संख्या:
17. उन निर्वाचकों की संख्या—
क) जिनसे आयु संबंधी घोषणा प्राप्त की गई.....
ख) जिन्होंने ऐसी घोषणा देने से मना किया
18. क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था, यदि हाँ तो ऐसे स्थगन के कारण दें:
19. प्रति दो घण्टों में डाले गए मतों की संख्या—
पूर्वाह्न 7 बजे से पूर्वाह्न 9 बजे तक
पूर्वाह्न 9 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक
पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक
अपराह्न 1 बजे से अपराह्न 3 बजे तक
अपराह्न 3 बजे से अपराह्न 5 बजे तक

(मतदान प्रारंभ होने और समाप्त होने के नियत समय के आधार पर आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है।)

20. क) पंक्ति में खड़े हुए निर्वाचकों को मतदान के समापन के समय पर जारी की गई पार्चियों की संख्या:
ख) ऐसे अंतिम निर्वाचक द्वारा अपना मत डालने के पश्चात् वह समय जब मतदान अंतिम रूप से समाप्त हो गया :
21. विवरण सहित निर्वाचक अपराध:
मामलों की संख्या:—
क) मतदान केन्द्र के एक सौ मीटर के भीतर प्रचार करना:
ख) मतदाताओं का छद्मरूपण:
ग) मतदान केन्द्रों पर नोटिस या अन्य दस्तावेजों की सुची को छलपूर्ण विकृत करना, नष्ट करना या हटाना:
घ) मतदाताओं को रिश्वत देना :
ड.) मतदाताओं और अन्य व्यक्तियों को डराना
च) बूथ पर कब्जा करना:

22. क्या इनके द्वारा मतदान बाधित या अवरुद्ध किया गया—

- क) उपद्रव:
 - ख) खुली हिंसा:
 - ग) प्राकृतिक आपदा:
 - घ) बूथ पर कब्जा करना:
 - ड.) वोटिंग मशीन का खराब होना:
 - च) कोई अन्य कारण:
- कृपया उपर्युक्त का विवरण दें।

23. क्या मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त किसी वोटिंग मशीन के कारण मतदान में गड़बड़ी हुई थी—

- क) पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा से अवैध रूप से
- ख) बाहर ले जाना दुर्घटनावश या जान-बूझ कर खो गई या नष्ट हो गई
- ग) नष्ट हो गई या उसके साथ छेड़छाड़ की गई:

कृपया विवरण दें।

24. अन्यायी/अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायतें, यदि कोई हैं तो

25. कानून और व्यवस्था भंग करने के मामलों की संख्या:

26. मतदान केन्द्र पर की गई गलतियों और अनियमितताओं, यदि कोई हैं की रिपोर्ट:

27. क्या मतदान के प्रारंभ होने से पहले और यदि आवश्यक हो तो मतदान के दौरान जब नई मतदान मशीन प्रयुक्त की जाती है और यथा आवश्यक मतदान की समाप्ति पर घोषणाएं की गई हैं:

स्थान:

दिनांक:

पीठासीन अधिकारी

यह डायरी वोटिंग मशीन, विजिट सीट, 14-बिन्दुओं वाली प्रेक्षक की रिपोर्ट और अन्य मोहरबंद दस्तावेजों के साथ यह डायरी रिटर्निंग अधिकारी को अग्रेषित की जाएगी।

मतदान के दौरान आने वाली विशेष स्थितियां

नियम 49 MA के अंतर्गत टेस्ट वोट का प्रावधान

मतदान के समय यदि कोई मतदाता यह शिकायत करे कि उसने जिस उम्मीदवार को मत दिया है **VVPAT** में आया प्रिंट उस उम्मीदवार को प्रदर्शित नहीं करता है तो पीठासीन अधिकारी उस मतदाता से निर्धारित प्रपत्र में घोषणा लेंगे और मिथ्या पाए जाने पर उसके विरुद्ध अधिनियमों के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने की चेतावनी देंगे।

अब 17-क रजिस्टर में उस मतदाता की प्रविष्टि पुनः की जाकर उसे पीठासीन अधिकारी, उम्मीदवार अथवा पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में टेस्ट वोट दिलवाया जायेगा।

नियम 49 MA के अंतर्गत टेस्ट वोट का प्रावधान

- ❑ यदि शिकायत सही पाई जाती है तो पीठासीन अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी को तुरंत सूचित करेंगे और उसके बाद उनके निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करेंगे।
- ❑ यदि शिकायत गलत पाई जाती है तो 17-क रजिस्टर में मतदाता की दूसरी एंट्री के सामने रिमार्क कॉलम में इस बाबत सूचना अंकित की जायेगी कि मतदाता ने नियम 49 MA के तहत टेस्ट वोट अमुक क्रम संख्या के अमुक अभ्यर्थी के पक्ष में दिया है सम्बन्धित मतदाता के हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी भी लिए जायेंगे।
- ❑ प्रपत्र 17-ग में भी इसकी प्रविष्टि की जाएगी।

नियम 49 MA(1) के अंतर्गत मतदाता द्वारा भरा जाने वाला घोषणा पत्र



नियम 49 MA के तहत घोषणा

सामान्य/उप निर्वाचन.....
संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम.....
मतदेय स्थल संख्या एवं नाम.....

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 MA के तहत मतदाता द्वारा घोषणा का प्रारूप

1. निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 49 MA के उपनियम (1) के तहत मैं सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता/करती हूँ कि, बिलेट यूनिट से जुड़े प्रिंटर द्वारा प्रिन्ट भेयर रिलेफ में बर्शाया गया उम्मीदवार का नाम और/या बिन्दु उस उम्मीदवार से गिना है, जिसके लिए मैंने संबंधित नीला बटन दबाकर अपना मत दिया था। मेरा यह आरोप सत्य एवं प्रामाणिक है, यह सिद्ध करने के लिए तैयार हूँ।
2. मुझे ज्ञात है कि IPC के प्राविधानों की धारा-177 के तहत दण्डित होने, जिसमें कारावास जिसकी अवधि छः माह तक बढ़ायी जा सकती है, अथवा अर्थदण्ड जिसकी राशि रु.1000 तक बढ़ायी जा सकती है, अथवा दोनों के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी, यदि उक्त बिन्दु (1) में मेरे द्वारा की गई घोषणा, पीठासीन अधिकारी जिन्हें RP Act 1951 की धारा 26 के तहत नियुक्त किया गया है, द्वारा गलत पायी जाती है।

मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान—

मतदाता का नाम

पिता/माता/पति का नाम

मतदाता सूची की भाग संख्या

उस भाग में मतदाता की क्रम संख्या.....

मतदाता रजिस्टर में क्रम संख्या (फार्म 17A).....

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि, उक्त नामांकित मतदाता के द्वारा उपरोक्त घोषणा मेरे समक्ष की गई।

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर.....

आक्षेपित मत / चैलेन्ज वोट



1. जब मतदाता प्रथम मतदान अधिकारी के पास जाता है तो वह उसकी पहचान करता है तथा उसकी प्रविष्टियों को जोर से बोलता है।
2. उसी समय कोई भी मतदान अभिकर्ता मतदाता की पहचान को चुनौती दे सकता है।
3. मतदान अधिकारी ऐसे मतदाता को पीठासीन अधिकारी के पास भेजेगा।
4. पीठासीन अधिकारी मतदान अभिकर्ता द्वारा किसी मतदाता की पहचान के बारे में दी गई चुनौती को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक चुनौतीकर्ता चुनौती राशि नकद 2/- रूपये जमा न कर दें।
5. चुनौती राशि नकद प्राप्त कर पीठासीन अधिकारी उपाबंध 8 के विहित प्रारूप में चुनौतीकर्ता को एक रसीद देंगे।

आक्षेपित मत / चैलेन्ज वोट



6. उस व्यक्ति, जिसकी पहचान को चुनौती दी गई है, को प्रतिरूपण के लिए दी जाने वाली शास्ति के बारे में समझाये।
7. निर्वाचक नामावली की प्रविष्टि को पूरा पढ़े व उससे पूछे कि वह वही मतदाता है।
8. चुनौती मतों की सूची प्रारूप 14 में उस मतदाता का नाम व पता लिखें तथा उसके हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी लिये जायेंगे। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे मत देने को अनुज्ञात नहीं करेंगे।
9. पीठासीन अधिकारी चुनौती की संक्षिप्त जांच करेगा।
10. यदि चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्टया साक्ष्य अपनी चुनौती के समाधान में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उस चुनौती को नहीं मानेंगे व ऐसे व्यक्ति को मत देने देंगे।

आक्षेपित मत / चैलेन्ज वोट



11. यदि चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्टया यह साबित करने में सफल हो जाता है कि वह व्यक्ति प्रश्नांकित मतदाता नहीं है तो मतदाता को चुनौती के खण्डन के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहें।
12. यदि मतदाता साक्ष्य प्रस्तुत कर यह सिद्ध करता है कि उसका दावा सही है तो उसे मत देने की अनुमति दे तथा चैलेन्ज फीस जब्त कर ले और सुसंगत रसीद के प्रतिपर्ण पर जब्त लिख दें।
13. यदि वह दावा सिद्ध नहीं कर सका तो यह माना जावेगा कि चुनौती सिद्ध हो गई है ऐसे मामले में चुनौती फीस वापस कर दें तथा सम्बन्धित रसीद के प्रतिपर्ण पर प्राप्ति लेने के हस्ताक्षर करवा लें।
14. ऐसे मतदाता को मत देने से वर्जित करे व ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को सौंपकर थानाधिकारी को पत्र लिखें।

प्रारूप 14

15

अभ्याक्षेपित मतों की सूची

नियम 36 (2) (ग) देखिए

.....निर्वाचन क्षेत्र सेके लिए निर्वाचन
मतदेय स्थल की संख्या तथा नाम.....

प्रविष्टि की क्रम संख्या	निर्वाचक का नाम	नामान्य ली के भाग का क्रम संख्या	उस भाग में निर्वाचक के नाम का क्रम संख्या	जिले व्यक्ति के खिलाफ अभ्याक्षेप किया गया है. उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान	जिस व्यक्ति के खिलाफ अभ्याक्षेप किया गया है उस व्यक्ति का पता	यदि कोई पहचानने वाला है तो उसका नाम	अभ्याक्षेपकर्ता का नाम	पीठासीन अधिकारी का आदेश	निक्षेप का प्रतिदाय प्राप्त करने पर अभ्याक्षेपकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									

तारीख.....

.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

निर्वाचक की आयु सम्बन्धी घोषणा



1. प्रत्येक निर्वाचक जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, मतदान का अधिकारी है।
2. किन्तु उस निर्वाचक की आयु न्यूनतम मतदान आयु 18 वर्ष से कम मानते हैं तो आप निर्वाचक से 1 अक्टूबर 2023 के सन्दर्भ में उसकी आयु के बारे में उपाबन्ध 10 में घोषणा प्राप्त करें। ऐसे निर्वाचक से घोषणा प्राप्त करने के पूर्व उसको मिथ्या घोषणा करने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा-31 में विहित दण्डनीय प्रावधानों से अवगत करा दें।
3. ऐसे मतदाताओं की सूची उपाबन्ध 11 के भाग 1 में प्राप्त करें जिन्होंने ऐसी घोषणाएं की है।
4. ऐसे मतदाताओं की सूची उपाबन्ध 11 के भाग 2 में प्राप्त करें जिन्होंने ऐसी घोषणाएं करने से मना किया है।
5. मतदान समाप्ति के बाद ऐसी घोषणाएँ पृथक लिफाफे में रखी जावेगी।

निर्वाचक द्वारा उसकी आयु के संबंध में घोषणा का प्रारूप

मैं, सत्यनिष्ठा से घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूँ कि, सन् 20..... की प्रथम जनवरी को, अर्थात् इस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली तैयार/पुनरीक्षित किए जाने के संदर्भ में अर्हता की तारीख को मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक की थी।

मुझे निर्वाचक नामावली में किसी नाम के सम्मिलित किए जाने या निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि संबंधी किसी मिथ्या घोषणा के बारे में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा-31 के दण्डात्मक उपबंधों के बारे में जानकारी है।

दिनांक

निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान.....

पिता/माता/पति का नाम.....

निर्वाचक नामावली की भाग संख्या.....

निर्वाचक की क्रम संख्या.....

प्रमाणित किया जाता है कि, उपर्युक्त नाम वाले निर्वाचक ने मेरे सम्मुख उपर्युक्त घोषणा की और उस पर हस्ताक्षर किए।

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर.....

मतदेय स्थल की संख्या और नाम.....

दिनांक.....

.....निर्वाचन क्षेत्र से.....के लिए निर्वाचन।
मतदाय स्थल की संख्या तथा नाम.....

भाग-1

उन मतदाताओं की सूची, जिन्होंने उनकी आयु के संबंध में घोषणाएँ प्राप्त कर ली गयी हैं।

क्रम संख्या	निर्वाचक का नाम	निर्वाचक नामावली में भाग संख्या तथा क्रम संख्या	निर्वाचक नामावली में दर्ज आयु	पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा निर्धारित आयु
1.	2.	3.	4.	5.
(1)				
(2)				
(3)				
(4) आदि				

भाग - II

उन मतदाताओं की सूची, जिन्होंने अपनी आयु के संबंध में घोषणाएँ करने से इन्कार कर दिया है।

क्रम संख्या	निर्वाचक का नाम	निर्वाचक नामावली में भाग संख्या तथा क्रम संख्या	निर्वाचक नामावली में दर्ज आयु	पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा निर्धारित आयु
1.	2.	3.	4.	5.
(1)				
(2)				
(3)				
(4) आदि				

निर्वाचक द्वारा मतदान की गोपनीयता भंग करना



1. यदि कोई मतदाता पीठासीन अधिकारी की चेतावनी के बाद भी मतदान प्रक्रिया का पालन करने से मना करें तो उसे नियम 49 M के अधीन मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जावे।
2. ऐसे मतदाता को यदि मतदाता पर्ची जारी कर दी हो तो उसे वापस ले लें।
3. जहां मतदाता को मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाये तो मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17-क के अभ्युक्ति के स्तम्भ में टिप्पणी लिखकर पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करें।
4. ऐसे प्रकरणों में उत्तरवर्ती निर्वाचक की क्रम संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करें।
5. प्रपत्र 17 ग में भी इसकी प्रविष्टि की जायेगी।

दृष्टिहीन व शिथिलांग मतदाताओं द्वारा मतदान



1. यदि आप सुनिश्चित हो जाये कि दृष्टिहीनता या अन्य शारीरिक शिथिलांगता के कारण कोई निर्वाचक मतदान यूनिट के प्रतीक चिन्हों को पहचानने में असमर्थ है या बिना सहायता के समुचित बटन दबाकर अपना मत रिकॉर्ड करने में असमर्थ है तो ऐसे निर्वाचक को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के साथी को मतदान कक्ष में साथ ले जाने को अनुज्ञात करें।
2. दृष्टिहीन मतदाताओं के लिए ब्रेल लिपि में पीठासीन अधिकारी के पास डमी बैलेट शीट रखी जायेगी, ताकि उसे वह मतदाता पढ़ कर अपने पसंद के अभ्यर्थी का क्रमांक ज्ञात कर सके और उसके बाद मतदान कक्ष में जाकर बैलेट यूनिट पर नीले बटन के सामने लगे हुए ब्रेनलिपि के स्टीकर से अभ्यर्थी का क्रमांक समझ सके और मतदान कर सके। ऐसा मतदाता भी चाहे तो मतदान कक्ष में साथी ले जा सकता है।

3. किसी व्यक्ति को एक दिन में किसी भी मतदान केन्द्र पर एक से अधिक निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।
4. साथी के रूप में अनुज्ञात करने से पूर्व उससे प्रपत्र-12 में घोषणा प्राप्त की जायेगी।
5. ऐसे समस्त मतदाताओं का रिकॉर्ड प्रारूप 14-क में रखा जावेगा।
6. ऐसे साथी की दायीं तर्जनी पर अमिट स्याही भी लगाई जायेगी। जबकि मतदाता की बायीं तर्जनी पर अमिट स्याही लगाई जायेगी।



अन्धे या शिथिलांग निर्वाचक के साथी द्वारा घोषणा

.....संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट.....विधान सभा
निर्वाचन क्षेत्र।

मतदेय स्थल की संख्या और नाम.....

मैं.....पुत्र श्री.....आयु.....

*निवासी.....

एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि:-

(क) मैंने आज तारीख.....को किसी भी पोलिंग स्टेशन पर किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है।

(ख) मैं.....की ओर से अपने द्वारा रिकार्ड किये गये मत को गुप्त रखूंगा/रखूंगी।

*यहाँ पूरा पता लिखा जाय।

साथी के हस्ताक्षर

निर्वाचक द्वारा मत नहीं देने का विनिश्चय



1. यदि कोई निर्वाचक मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 17-क में उसकी निर्वाचक नामावली संख्या की सम्पूर्ण रूप से प्रविष्टि करने और मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी करने के पश्चात् अपना मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करता है तो उसे मत रिकॉर्ड करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
2. मतदाताओं के रजिस्टर में उससे सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने अभ्युक्ति के स्तम्भ में टिप्पणी की जायेगी, 'मत देने से मना किया'।
3. निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान ऐसी टिप्पणी के सामने अभिप्राप्त किया जावे।
4. मतदाता के रजिस्टर के स्तम्भ (1) में उस निर्वाचक की क्रम संख्या में परिवर्तन नहीं किया जावे।
5. इस बाबत प्रपत्र 17 ग में इन्द्राज किया जायेगा।

निविदत्त मतपत्र



1. यदि कोई निर्वाचक मत देने के लिए मतदान केन्द्र पर उस समय आए जब कोई अन्य व्यक्ति उस निर्वाचक के रूप में पहले ही मत दे चुका हो तो उस निर्वाचक की पहचान के बारे में समाधान होने पर उसे निविदत्त मत देने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
2. निविदत्त मतपत्र छपा हुआ मतपत्र होगा जैसा मतदान यूनिट पर प्रदर्शन के लिए उपयोग में लिया जाने वाला मतपत्र हैं। ऐसे मतपत्र के पीछे पीठासीन अधिकारी हाथ से निविदत्त मतपत्र लिखेगा।
3. प्रारूप 17-ख निविदत्त मतपत्रों की सूची में निर्वाचक का नाम व क्रम संख्या लिख कर हस्ताक्षर कराएगा।

निविदत्त मतपत्र



4. मतदाता के अमिट स्याही लगाई जायेगी लेकिन 17 क रजिस्टर में उसका इन्द्राज नही किया जायेगा।
5. मतदाता वोटिंग कम्पार्टमेंट मे जाकर ऐरोक्रास मार्क सील की सहायता से इच्छित उम्मीदवार को मत अंकित कर मतपत्र गोपनीय रूप से पीठासीन अधिकारी को सुपुर्द करेगा। पीठासीन अधिकारी उसे अलग लिफाफे मे रख कर सीलबंद करेगा।

प्रॉक्सी द्वारा मतदान



- निर्वाचन कानून में संशोधन कर वर्गीकृत सेवा नियोजित मतदाताओं (सी.एस.वी.) को प्रॉक्सी द्वारा मतदान की सुविधा दी गई है।
- प्रॉक्सी द्वारा मतदान के लिए मतदान केन्द्र पर अधिकृत व्यक्तियों की सूची चिन्हित प्रति के अन्त में लगी होगी।
- प्रॉक्सी को सामान्य मतदाता के लिए विहित प्रक्रिया के अनुसार ही मतदान करावें लेकिन अमिट स्याही बांयी तर्जनी के स्थान पर बांयी मध्यमा पर लगावें।

मतदान का स्थगन / रोका जाना



लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 57(1)के अधीन पीठासीन अधिकारी मतदान स्थगित कर सकते हैं।

प्राकृतिक विपत्ति, मतदान मशीन, नामावली व अन्य सामग्री का नष्ट होना, ऐसी स्थिति जहां मतदान सम्भव न हो, शान्ति भंग अर्थात् खुली हिंसा व अन्य अपरिहार्य कारण जैसे मतदान दल का केन्द्र पर नहीं पहुंचने पर।

नोट :- इस विशेषाधिकार का सोच समझकर पर्याप्त कारण से ही उपयोग करें।

मतदान का स्थगन



- स्थगन के मामले में RO को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी देवें।
- कंट्रोल यूनिट से बैलेट यूनिट व VVPAT का सम्बन्ध विच्छेद करें।
- उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष पीठासीन अधिकारी घोषणा करेगा कि मतदान निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित तिथि को किया जावेगा।
- मतदान अभिकर्त्ताओं की उपस्थिति में वोटिंग मशीन को सील करना, अभिलेख तैयार करना आदि कार्य ठीक वैसे ही करें जैसे सामान्य रूप से मतदान समाप्ति पर किया जाता है।

स्थगित मतदान को पूरा किया जाना



जहां से मतदान स्थगित किया गया था, उससे आगे मतदान की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को करवाई जायेगी।

निर्वाचन अधिकारी पूर्व में प्रयुक्त 17-ग में मतदाताओं का रजिस्टर तथा नई मतदान मशीन उपलब्ध करायेंगे।

दिए गये मोहर बन्द पैकेट्स को उपस्थित अभिकर्ताओं के सम्मुख खोला जाना चाहिये। जिन मतदाताओं ने मतदान नहीं किया था, वे ही मतदान करने योग्य होंगे। निर्धारित प्रक्रिया से ही मतदान करवाया जायेगा।

प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम नामावली में प्रविष्ट हैं मतदान का अधिकारी हैं।

पुनर्मतदान की स्थिति में







- उसी तरह मतदान होगा जैसे कि सामान्य रूप से मतदान होता है समस्त मतदाता मतदान में भाग ले सकेंगे।
- इस मतदान में मतदाताओं के बायें हाथ की मध्यमा पर निशान अंकित करना है। बायें हाथ की तर्जनी को नहीं देखा जायेगा।

वोटिंग मशीन तथा निर्वाचन
सम्बन्धी कागज पत्रों को
संग्रहण केन्द्रों पर सुपुर्द करना

पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान की समाप्ति पर सील की गई वोटिंग मशीन और निर्वाचन सम्बन्धी कागज पत्रों को संग्रहण केन्द्र पर अविलम्ब सुपुर्द कर संग्रहण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी से प्राप्ति की रसीद प्राप्त करनी चाहिए।

मतदान के पश्चात्
लिफाफे तैयार करने
की प्रक्रिया

मतदान सामग्री को रखने हेतु लिफाफे



लिफाफा नंबर-1

“EVM PAPERS COVER”

- 1-Envelope containing the account of votes recorded (Form-17C)
- 2-Envelope containing the PrO Report I (Mock-Poll Certificate), II & III
- 3-Black color Sealed Envelope containing Printed VVPAT paper slips of Mock Poll

लिफाफा नंबर-2

“SCRUTINY COVER”

- 1-Unsealed envelope containing the Presiding Officer’s Diary**
- 2-Sealed envelope containing the register of voters (17A)**
- 3-Unsealed envelope containing Visit Sheet**
- 4-Unsealed envelope containing the list of blind and infirm electors in Form 14-A and the declarations of the companions.**

All the above election papers should be kept in unsealed white coloured master envelope (Envelope No: 2/1) and Polling Station wise scrutiny cover required for scrutiny should be stored separately in a strong room other than Polled EVM strongroom having polled EVMs and VVPATs.

लिफाफा नंबर-3

“STATUTORY COVER”

- 1-Sealed envelope of marked copy of the electoral roll and list of CSVs (if any)**
- 2-Sealed envelope of voter's slips Size 14"x 10“**
- 3-Sealed envelope of used tendered ballot papers and the list in Form 17B**
- 4-Sealed envelope of unused tendered ballot papers**
- 5-Sealed envelope of list of challenged votes in Form 14**

लिफाफा नंबर-4

“NON STATUTORY COVER”

- 1-**Envelope containing the copy or copies of electoral roll (other than the marked copy)
- 2-**Envelope containing the appointment letters of Polling Agents in Form 10
- 3-**Envelope containing the election duty certificates in Form 12- B
- 4-**Envelope containing declarations by Presiding Officer
- 5-**Envelope containing receipt book and cash if any, in respect of challenged votes
- 6-**Envelope containing the declarations obtained from electors as to their age and the list of such electors who have refused to make declaration as to their age
- 7-**Envelope containing unused and damaged paper seals and special tags
- 8-**Envelope containing unused voter's slips
- 9-**Envelope containing Form of Declaration by elector under 49MA (Test Vote)
- 10-**Envelope containing Form of Declaration by elector whose name is in ASD list
- 11-**Envelope containing letter of complaint to SHO

लिफाफा नंबर-5

- 1-The Handbook for Presiding Officer, Manual of Electronic Voting Machine and VVPAT, instructions etc
- 2-Used and remaining Indelible ink set (with stopper
having been secured on each phial effectively with
molten candle or wax applied thereon to prevent leakage
or evaporation)
- 3-Used Stamp pad (Brown colour)

लिफाफा नंबर-6

- 1-Candidate Information Booklet
- 2-Other unused forms
- 3-Metal seal of the Presiding Officer
- 4-The arrow cross-mark rubber stamp for marking tendered ballot papers
- 5-Cup for setting the indelible ink.
- 6-All the other items, if any, should be packed into the Fifth packet (colored Blue)

पीठासीन अधिकारियों व प्रथम मतदान अधिकारी की जानकारी हेतु

विशेष ध्यान देने योग्य प्रावधान

1. विजिट शीट का संधारण



मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान दिवस पर एक "विजिट शीट" का संधारण किया जायेगा

इसका प्रारूप इस प्रकार होगा –

विजिटर शीट

27

.....लोक सभा/विधान सभा समान्य/उप निर्वाचन 20....

मतदान का दिनांक.....लोक सभा/ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम.....

मतदेय स्थल की संख्या तथा नाम.....मतदाताओं की कुल संख्या.....

क्र. सं.	निरीक्षण करने वाले अधिकारी का नाम एवं पद नाम (आयोग के प्रेक्षक/ जिला निर्वाचन अधिकारी/ रिटर्निंग आफिसर/ सहायक रिटर्निंग आफिसर/ जोनल मजिस्ट्रेट/ सेक्टर मजिस्ट्रेट)	निरीक्षण का समय	निरीक्षण प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण शान्तिपूर्वक/ घटनात्मक	निरीक्षण के समय तक कुल मतदान	निरीक्षण के समय तक मतदान का प्रतिशत	टिप्पणी यदि कोई	अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8

2. अभ्यर्थी द्वारा स्थापित बूथ



यह बूथ मतदान केन्द्र के 200 मीटर के घेरे में स्थापित नहीं होगा।

इस पर 1 मेज 2 कुर्सी एवं उस पर कपड़े या छाते से छाया की ही अनुमति होगी लेकिन कोई कनात या टेंट लगाने की अनुमति नहीं होगी

इस बूथ पर उम्मीदवार का नाम, उसकी पार्टी का नाम एवं उसके चुनाव चिन्ह को दर्शाते हुए अधिकतम 3 फीट x 1 फीट का बैनर लगाने की अनुमति होगी।

ऐसे बूथ लगाने वाले प्रत्येक उम्मीदवार रिटर्निंग अधिकारी को इसकी लिखित पूर्व सूचना देंगे एवं संबंधित स्थानीय प्राधिकारी जैसे पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम से लिखित अनुमति भी प्राप्त करेंगे।

मतदाता पर्चियों पर उम्मीदवार का नाम या चुनाव चिन्ह छपा नहीं होना चाहिए। ये पर्चियां पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य भी नहीं है।

ऐसे बूथ आवागमन के रास्ते में अवरोध नहीं होने चाहिए।

3. वोटर असिसटेंस बूथ की स्थापना

प्रशासन द्वारा एक वोटर असिसटेंस बूथ की स्थापना की जाएगी ताकि उस केन्द्र पर आने वाले मतदाताओं को उनके पोलिंग बूथ एवं उससे संबंधित मतदाता सूची में उनकी प्रविष्टियों की जानकारी हो सके।

इस बूथ पर भाग संख्यावार अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार मतदाता सूचियों की प्रतियां उपलब्ध रहेंगी ताकि आने वाले मतदाता को आसानी से उससे संबंधित प्रविष्टियां बतायी जा सके।

4. माइक्रो आब्जर्वर्स की व्यवस्था

जिन मतदान केन्द्रों को उनकी संवेदनशीलता एवं मापदण्डों के कारण क्रिटिकल मतदान केन्द्र घोषित किया जाएगा उनमें से कुछ केन्द्रों पर एक-एक माइक्रो आब्जर्वर भी नियुक्त किये जाएंगे। ऐसे माइक्रो आब्जर्वर्स मॉक पोल से लेकर मतदान की सम्पूर्ण गतिविधियों पर नजर रखेंगे एवं निर्धारित प्रपत्र में अपनी रिपोर्ट निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक को उपलब्ध करायेंगे।

माइक्रो आब्जर्वर्स से किसी भी सूरत में मतदान दल के सदस्य के रूप में कार्य नहीं करवाया जायेगा

5. बूथ लेवल अधिकारियों की व्यवस्था

- प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक-एक बूथ लेवल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
- बूथ लेवल अधिकारी के पास भी एक अपडेटेड मतदाता सूची उपलब्ध रहेगी।
- मतदान केन्द्रों पर फर्नीचर, लाइट, पानी आदि आधारभूत व्यवस्था की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में बूथ लेवल अधिकारी सहयोग करेंगे।
- मतदान दलों की मतदान केन्द्रों पर उपस्थिति तक बूथ लेवल अधिकारी निरन्तर उनसे सम्पर्क में रहेंगे तथा आवश्यकतानुसार उन्हें सहयोग प्रदान करेंगे।
- मतदान दिवस के दिन बूथ लेवल अधिकारी मतदान केन्द्र के बाहर रहते हुए उसके आस-पास रहेंगे एवं पीठासीन अधिकारी के द्वारा बुलाने पर ही पोलिंग बूथ के अंदर प्रवेश करेंगे।
- मतदान केन्द्र पर होने वाली घटनाओं के संबंध में बूथ लेवल अधिकारी तुरन्त संबंधित मजिस्ट्रेट / पुलिस / रिटर्निंग ऑफिसर को सूचना देंगे।

6. PB या EDC के सम्बन्ध में

- निर्वाचक नामावली के उपरोक्त सेट में जिन मतदाताओं के आगे शब्द PB या EDC मार्क है उन्हें मतदान केन्द्र में मतदान के लिए अनुमति नहीं होगी।

- यदि कोई मतदाता अन्य भाग या अन्य लोकसभा क्षेत्र से जारी फोटो मतदाता पहचान पत्र लाता है तो भी वह मतदाता की पहचान के लिये मान्य है।

7. मतदाता सूचियों में लिपिकीय / टंकण त्रुटियाँ –

- यदि मतदाता की पहचान के बारे में आपत्ति नहीं है, लेकिन टंकण / लिपिकीय अशुद्धि मतदाता सूची में है, तो उसे दरकिनार (Ignore) किया जायेगा।
- किसी मतदाता की पात्रता को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता |

8. ASD के सम्बन्ध में

- यदि ASD मतदाता मत देने आता है तो इसका इन्द्राज ASD सूची में किया जायेगा तथा 17-क रजिस्टर में मतदाता के हस्ताक्षर के अतिरिक्त अंगूठे का निशान भी लिया जायेगा।

मतदाता का घोषणापत्र, जिनका नाम अनुपस्थित/स्थानान्तरित/मृत सूची में हैं
(ए.एस.डी.लिस्ट में)

मैं सत्यानिष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता/करती हूँ कि, मैं वही व्यक्ति हूँ, जिसका नाम.....विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की, 01 जनवरी, 20..... की अर्हता तिथि के आधार पर मौजूदा तैयार/संशोधित मतदाता सूची के भाग संख्या.....के क्रम संख्या में दर्ज है. मुझे ज्ञात है कि निर्वाचन में किसी प्रकार का प्रतिरूपण IPC की धारा-177D के तहत निर्वाचन अपराध है।

मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
नाम.....

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित मतदाता द्वारा उपरोक्त घोषणा मेरे समक्ष की गई है।

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर
मतदान केन्द्र का नाम एवं क्रमांक.....

दिनांक.....

9. OVERSEAS VOTERS

विदेश में रहने वाले भारतीयों जिन्होंने विदेशी नागरिकता ग्रहण नहीं की है, उनका नाम संबंधित क्षेत्र की मतदाता सूची के अंत में अप्रवासी मतदाता के रूप में दर्ज रहेगा।

ऐसे मतदाता उसी भाग में अपने पासपोर्ट के आधार पर मतदान करेंगे इन्हें EPIC जारी नहीं होता है।

10. POSTAL BALLOT

प्रत्येक मतदान कार्मिक को उसकी विधानसभा, जहाँ वह पंजीकृत मतदाता है, नियुक्त नहीं किया जाएगा। अतएव प्रत्येक कार्मिक को अपना प्रपत्र 12 भरकर पूर्ण प्रक्रिया को समझकर पोस्टल बैलट अधिकार का उपयोग करना चाहिए।

प्रशिक्षण सत्र के बाद डाक मतपत्र से आपको अपना वोट वहीं पर बनाये गये पृथक बूथ (Facilitation Center) पर आवश्यक रूप से देना है।

वैकल्पिक पहचान दस्तावेज

- EPIC के अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव / उप चुनाव से पूर्व अधिसूचना जारी कर पहचान हेतु वैकल्पिक दस्तावेज की सूची जारी की जाती है, इसके आधार पर भी मतदाता को मतदान हेतु अनुमत किया जा सकता है।

आयोग द्वारा अधिकृत फोटोयुक्त दस्तावेज आपकी सामग्री में उपलब्ध होगी। कृपया इसका भली प्रकार से अध्ययन कर लें।

Vulnerability Mapping के संबंध में

आपके मतदान क्षेत्र में कुछ मतदाताओं को भय ग्रस्त/असुरक्षित महसूस करने वाले मतदाताओं के रूप में भी माना हुआ हो सकता है, जिनको दर्शाने के लिए चिन्हित मतदाता सूची के साईड हाशिये में एक लाईन खिंची हुई होगी।

मतदान के दौरान बीच-बीच में यह जानकारी भी ली जानी है कि इन मतदाताओं में से मतदाता वोट देने आ रहे हैं या नहीं। यदि यह ज्ञात होता है कि ये मतदाता वोट देने नहीं आ रहे हैं या कोई इक्का-दुक्का ही आ रहा है तो तुरन्त सैक्टर अधिकारी को अवगत करावें।




CRITICAL POLLING BOOTHS

क्रिटिकल मतदान केन्द्र विभिन्न निर्धारित आधारों पर पूर्व से जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तय किए जाते हैं, इन केन्द्रों पर—

- (i) CPF सुरक्षाकर्मी नियुक्त होते हैं अथवा
- (ii) प्रत्येक मतदाता की मतदान से पूर्व केमरा / वीडियो से फोटो ली जाती है अथवा
- (iii) माइक्रो आब्जर्वर की नियुक्ति होती है अथवा
- (iv) उपरोक्त में से कोई भी या सभी उपाय हो सकते हैं।

पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदाताओं को मतदान करने की प्रक्रिया की समझाईश –

किसी मतदाता को मतदान मशीन पर मतदान करने की प्रक्रिया समझाने हेतु पीठासीन अधिकारी मतदान कक्ष में नहीं जा सकता, बल्कि ऐसे मतदाता को समझाने हेतु पीठासीन अधिकारी के पास मतदान मशीन का कार्ड बोर्ड या मोटे गत्ते पर एक मॉडल होगा जिस पर उसे मत देने की प्रक्रिया बताई जायेगी।



पर्यवेक्षक (Observers) की भूमिका

- पर्यवेक्षक (Observers) द्वारा मतदान के दिन किसी भी मतदान केन्द्र का निरीक्षण किया जा सकता है।

- पर्यवेक्षक (Observers) द्वारा मतदान केन्द्र के निरीक्षण के दौरान पीठासीन अधिकारी से निर्वाचन आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रेषित करने के प्रयोजन से कोई भी जानकारी चाही जा सकती है।



पर्यवेक्षक (Observers) द्वारा मतदान केन्द्र पर कराए जाने वाले मतदान का निरीक्षण किया जावेगा किन्तु पीठासीन अधिकारी को कोई निर्देश नहीं दिए जावेंगे।

तथापि, पर्यवेक्षकों (Observers) द्वारा मतदाताओं को अधिक सुविधा उपलब्ध कराने अथवा मतदान केन्द्र पर मतदान प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने की दृष्टि से सुझाव दिए जा सकते हैं।

यदि किसी पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्र पर अनुभव की जा रही कोई विशेष समस्या या कठिनाई पर्यवेक्षक (Observers) के ध्यान में लाई जाती है, तो पर्यवेक्षक (Observers) को प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु रिटर्निंग आफिसर या अन्य सम्बन्धित प्राधिकारी के ध्यान में लाया जाना चाहिए।



चुनाव के संबंध में विधिक प्रावधान (कानून)

1. भारत का संविधान
2. भारतीय दण्ड संहिता
3. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951
4. अपराधिक प्रक्रिया संहिता
5. विशेष एवं स्थानीय अधिनियम

पीठासीन अधिकारियों द्वारा संचालन के समय सामान्य गलतियाँ

- मॉक पोल के बाद CRC नहीं किया जाना ।
- मॉक पोल की पर्चियां नहीं हटाना ।
- पोल के पश्चात क्लोज बटन नहीं दबाना ।
- VVPAT को बदलने के पश्चात मॉक पोल किया जाना, जो अनावश्यक है ।
- 17 सी को अपूर्ण विवरण के साथ जमा करना या जमा नहीं करना ।

पीठासीन अधिकारियों द्वारा संचालन के समय सामान्य गलतियाँ

- मतदान प्रतिशत की रिपोर्ट ठीक से प्रस्तुत नहीं करना / मतदान प्रतिशत के स्थान पर कुल मतदाताओं की संख्या देना / पुरुष व महिलाओं की सांख्यिकी का विवरण प्रस्तुत नहीं करना ।
- EVM , VVPAT carry case को मतदान समाप्ति के पश्चात एड्रेस टैग से सील नहीं किया जाना ।

VVPAT संचालन के लिए DO'S and DON'TS



DOs	DON'Ts
Ensure paper roll knob is locked (horizontal position) before transportation.	
In Polling Station, unlock the paper roll knob (vertical position), before switching ON the CU.	Don't switch ON CU before VVPAT paper roll knob is in unlocked condition (vertical position).
Position BU and VVPAT in Voting Compartment. Position CU on PO's Table	
Establish right connection by following the color scheme	Don't allow direct light or high-power illumination over VVPAT.
Ensure the connectors are inserted properly.	Don't remove cables without pressing the clips on the connectors.
Switch 'ON' CU, the Power-On Green LED on VVPAT glows and VVPAT prints all 7 slips.	Don't switch OFF CU unless all 7 slips are printed and cut.
Check for any "ERROR" message on CU. Inform Sector Officer (SO) in case of any "ERROR".	Don't start polling in case of "PRINTER ERROR" message on CU.
Always switch OFF CU before making any connection or disconnection including change of battery.	Don't operate the paper roll knob till the end of the poll.

NOTE:

VVPAT related messages are displayed on the CU's Display.



DO'S and DON'TS

DOs	DON'Ts
Attend all trainings	Don'ts leave the polling material to the custody of Police or others.
Read all material given	Don't all agents to bring phones or cameras to PS or any electronic gadgets.
Have hands on experience with EVM's	Don't allow voters also to come into PS with phones cameras or any electronic gadgets.
Use Postal Ballot facility	Don't allow arguments with polling staff.
Verify material carefully at distribution centre	Don't allow anyone to light fire in the PS.
Stay in the Polling Station on the night before poll.	Don't allow any agent to canvass in the PS.
Cover or remove photographs of political leaders in the PS.	Don't allow anyone to enter the PS with any publicity material or outfit.
Start and complete the pre poll process as per schedule	Don't allow press photographers to photographs inside the voting compartment.



DO'S and DON'TS

Work as team and be cooperative.	Don't get into argument.
Be impartial and also appear to be impartial.	Don't discuss with agents about the result or voting trends.
Verify if the polling agent is a voter in the PS.	Don't allow candidates or election agents to enter the PS with gunmen or supporters.
Allow Polling agents present to sign on the seals	Don't allow visiting candidates or election agents to disturb the election process.
Perform CRC on the CU before sealing.	Don't allow police to enter PS unless called.
Maintain visitor sheet	Don't allow unauthorized persons to enter polling station including ministers.
Supply copies of 17- C to all polling agents	Don't allow anyone to go to the voting compartment while the voter is casting his vote.
Fill up PrO's diary meticulously.	Don't allow agent to be a companion.
PO to attend the authorized visitors and allow the poll process to continue.	Don't allow anyone to join the queue after the appointed hours for closing the poll.
Close the poll at the scheduled hour and follow the procedure.	Don't be in hurry. Hasty work leads to error.

CHECK LIST FOR PRESIDING OFFICER



ITEM	ACTION TO BE TAKEN	REFERENCE
1) ON APPOINTMENT AS PRESIDING OFFICER		
1	Please read the following training material and instructions a) Handbook for Presiding Officer b) Manual of EVM and VVPAT c) Letter of the Returning Officer to Presiding Officers giving important instructions, if any.	-
2	Ensure that you have received training with regard to the poll processes, procedures, duties and EVM/VVPAT hands on training	1.4, 1.7, 3.1
3	Please read carefully the different forms like statutory and non-statutory forms as given in Handbook for Presiding Officers	-
4	Apply for Postal Ballot / EDC at appropriate time	1.5
5	Please ensure deposition of postal ballot in the “drop box” at facilitation center at the time of dispatch or collect your EDC, if applied earlier	1.5
2) AT DISPATCH CENTER.		
1	Please carefully examine the appointment order, the name of assembly constituency, name and number of PS and location of PS	-
2	You should become familiar with all members of your polling party including security personnel	-
3	If any member (s) is absent, please ensure replacement from reserve	-
4	Please contact the Sector/Zonal officer for guidance and help in departing for PS in designated GPS enabled vehicle through pre-decided route	-
5	Please ensure that you have collected all polling material as per Annexure - 3	1.6
6	(a) Please ensure that you have collected CU, BU and VVPAT pertaining to your PS (b) Match Unit Ids written on address tags with the metallic plate/barcode on the back side of each unit	1.7

7	Please check that the 'Candidate Set Section' of Control Unit is duly sealed and the address tag is firmly attached thereto	1.7.ii
8	Please ensure that the battery in the Control Unit is fully operational. Switch off the Control Unit after checking it.	1.7.iii
9	Please ensure that the Ballot unit(s) is duly sealed and address tags are firmly attached, both at the top and bottom right portion	1.7.x
10	Please check that the appropriate ballot paper is duly fixed on each Ballot Unit and is properly aligned under the ballot paper screen	1.7.v
11	Check if the thumb wheel switch is set to the appropriate position in each Ballot Unit. Inform Sector Officer/Returning Officer, if there is any discrepancy.	1.7.vi
12	Check Unmasked buttons on Ballot Unit(s) are equal to the number of candidates (including NOTA option) and all remaining unused buttons are masked.	1.7.ix
13	Please check that the paper roll lock knob in the backside of VVPAT should be in lock position (in Transit/Horizontal Position) to lock paper roll, during transit.	3.1.2
14	Instruct the polling party members NOT TO TEST VVPAT at the time of dispersal and before Mock poll at PS under any circumstance.	1.7.iv
15	Check the serial numbers of all type of paper seals received.	1.6
16	Check the electoral roll to ensure that: 1. You have received marked copy of electoral roll. 2. Page numbers in the working copies of the roll are given serially.	1.9
	3. The printed serial numbers of voters are not corrected, and no new numbers are substituted for them.	

17	Ensure that you have received the list of absentees, shifted and dead (ASD list).	4.3.3
18	Ensure that the tendered ballot papers are available for the same AC.	5.6.2
19	Check if you have received photocopies of specimen signatures of the contesting candidates and their election agents.	1.8

3) ON ARRIVAL AT THE PS.

1	Ensure that there is enough space for the voters to wait outside the PS and for separate queues for male and female voters.	2.3
2	If there are sufficiently large numbers of women electors in a PS, there should be special arrangements for their identification and application of indelible ink in a separate enclosure having due regards to privacy, dignity, and decency. For ensuring this, you can appoint locally available women employee to help their identification.	2.6
3	There should be separate entrance and exit for voters. Even if there is only one door to the room, housing the PS, a separate entrance and exit can be provided with the help of bamboos and ropes dividing the doorway.	2.3
4	If more than one PSs is in the same building, then segregate the voters and ensure that they wait in different parts of the space in front of each PS without any confusion.	2.6
5	Remove photograph of any leader or symbols belonging to any political party or slogans having a bearing on election displayed in the PS or cover them fully.	2.6
6	Find the periphery of 200 and 100 meters around the PS and ensure safety by the presence of CAPF/State Police Personnel/Home Guard. Take under your control area up to a radius of 100 meters and remove the campaign posters of political parties and candidates. No political party member can be allowed to sit in that area.	4.1
7	No cooking or lighting of fire for any purpose should be allowed inside the PS.	2.6

4) ARRANGEMENTS AT PS		
1	Ask all polling agents of the candidates to reach the PS at least 90 minutes before the polling starts, so that they are present when you are going through the preliminaries.	2.13
2	No high wattage incandescent bulbs/tube-light should be placed directly over or in front of the VVPAT and also no window must be opened behind EVM and VVPAT	2.3
3	BU and VVPAT should be kept on the table in the voting compartment. VVPAT should be in the left side of BU.	3.2.1
4	Connect the CU, BU and VVPAT with the connecting cables	3.2.1
5	Place the Ballot Unit(s) and VVPAT in voting compartment in such a way that no one can disturb the interconnecting cable, and the cable is fully visible, and its routing does not obstruct the movement of voters inside the PS	2.3
6	(a) Ensure that the connecting cable is coming out from the back of voting compartment through an aperture cut out at the bottom of the voting compartment	2.3
	(b) Tape the connecting wires of BU and VVPAT to the leg of the table with "Transparent Adhesive Tape" of one and half inch width in such a manner that the wires do not hang in the air so that the load of hanging wire does not impact the connecting switch of the BU and VVPAT	
7	To maintain secrecy of voting, ensure that the voting compartment is not placed near the window or door of the PS or exposed to web camera / video camera.	2.3
8	Put the VVPAT lock-unlock switch for paper roll in working-vertical position before switching on the Control Unit.	3.2.1
9	Switch ON the power of Control Unit.	-
10	Ensure that polling officers and agents are seated in such a way that the BU, VVPAT and the voter recording his vote by pressing button on BU, is not visible to them at all.	2.3

11	Ensure that polling agents are seated in such a way that they can see the face of the elector as and when he/she enters the PS, and they can challenge the identity of the elector if required.	2.15
12	The seating order, at the PS, for the polling agents of candidates should be guided by the following categories of priorities, namely: a) Candidates of recognized National Parties. b) Candidates of recognized State Parties. c) Candidates of recognized State Parties of other States who have been permitted to use their reserved symbols in the constituency. d) Candidates of registered unrecognized parties. e) Independent candidates.	2.15
13	Check the appointment letters of polling agents and explain to them the provisions of section 128 of the R.P. Act, 1951. Issue them with entry passes for their movements.	2.12 2.14
14	Ensure that Polling Agents appointed at the PS are enrolled in the voter list of that PS or of the neighboring PS and have EPIC or any other government approved Identity Card.	2.11
15	Ensured the following: 1- A notice specifying the polling area and particulars of electors to be served by PS is displayed. 2- A copy of list of the contesting candidates in Form 7A, should be displayed outside each PS prominently. 3- Voter Facilitation Posters should be displayed on the outer wall, near the entrance of each PS.	2.7
16	A HELPDESK has to be set up by BLO to provide necessary assistance to the electors.	2.8
17	A VOTER ASSISTANCE BOOTH should be set up to provide facility to locate elector name in the electoral roll.	1.15

5) MOCK POLL

1	Voting Compartments have to be properly arranged with appropriate sticker pasted outside to indicate clearly the Election pertaining to which the Ballot Unit(s) and VVPAT are kept inside.	1.12
2	Micro Observer, if appointed, shall have participated in all the proceedings of the mock poll and his signature has to be obtained on Part-I the Presiding Officer's Report (Mock poll certificate).	2.21
3	Mock poll proceedings have to be video graphed, if directed.	2.18
4	For mock poll, the Ballot Unit and VVPAT should be placed in the voting compartment, where a Polling Officer should be present along with polling agents to observe operations on BU and paper slips printed on VVPAT. Manual record of votes casted should be maintained by the Polling officer.	3.2.1
5	Mock poll should be conducted with the polling agents voting at random for each of the contesting candidates including NOTA.	3.2.1
6	At the end of the mock poll, press the 'Close' button in the Result section of the control unit. After that, press the button marked 'Result' in the Result Section of the control unit to ascertain the mock poll result.	3.3.4 (i)
7	Count the VVPAT paper slips in the presence of the polling agents and confirm that the results tally for each candidate.	3.3.5
8	Press the 'Clear' button of Control Unit to clear the account of votes recorded during the mock voting.	3.3.4
9	The empty drop box must be verified by the polling agents.	3.3.5



10	Stamp the mock poll VVPAT paper slips, on their back side with the rubber stamp having inscription MOCK POLL SLIP .	3.3.5(IV)
11	Take signatures of the polling agents on the black envelope for sealing Mock poll slips and write the number and name of the PS, number and name of the assembly constituency, date of poll and the words “VVPAT paper slips of Mock Poll” on the envelope.	3.3.5(IV)
12	Keep this envelope in the special plastic box for mock poll and seal with a pink paper seal placed in such a manner that opening of the box will require breaking of the seal.	3.3.5(IV)
13	Write the number and name of the PS, number and name of the assembly constituency and the date of poll on the plastic box.	3.3.5(IV)
14	Ensure to put your and polling agent’s signatures on the pink paper slip and keep the box along with other documents relating to elections.	3.3.5(IV)
15	Seal the drop box of VVPAT with the thread and an address tag using Presiding Officer’s seal before the actual poll starts.	3.4.1
16	Seal the Result section of the control unit with green paper seal, special tag and address tag, and obtain signatures of polling agents	3.4.1
17	Prepare Part-I of the Presiding Officer’s Report (Mock poll certificate).	3.3.5
18	Ensure to mention the names of the polling agents and the Candidates and their party affiliations, whom they represent and obtain their signatures on the completion of mock poll on the certificate.	3.3.5
19	Take the witness of other polling officers in the Part-I of Presiding Officer’s Report that mock poll votes are erased from the CU and mock poll VVPAT slips are removed from the VVPAT before start of actual poll.	3.3.5
20	At the end of Mock Poll at the PS, check and note the date and time shown in the display of the Control Unit and also the actual date and time as well as any discrepancy between the two, if any, mention it in the Mock Poll certificate and also in Presiding Officer’s Diary.	3.3.5
21	Intimate the mock poll status to returning officer through your sector officer	1.14

6) COMMENCEMENT OF THE POLL		
1	Ensure that the polling starts at the scheduled time.	4.2
2	Explain to all present, the provisions of section 128 of the Representation of the People Act, 1951 regarding maintenance of secrecy of voting and warn them of the penalty for any breach	4.2
3	Read out the declaration as per instruction (Annexure - 6)	4.2
4	Maintain visit sheet as prescribed by the Commission	2.20
5	Intimate the status of commencement of poll to the Returning Officer through your sector officer	1.14
6	Before the first voter signs in Form 17A (Register of Voters), the Polling Officer 1 shall check with the Presiding Officer and record in INK in Form 17A that "Total in the Control Unit checked and found to be Zero".	9.27

7) REPLACEMENT OF EVM DURING MOCK POLL / ACTUAL POLL		
1	In case of replacement of EVM Full Set during actual Poll, ensure that only one vote to each contesting candidate including NOTA is polled in the mock poll. No mock poll is needed if only power pack has been changed.	4.6.1
2	Ensure that all the processes mentioned in Section- 5 above on the Mock Poll are followed strictly in case of replacement of complete set during actual poll	4.6.1
3	In case of replacement of power pack of Control Unit during mock poll/ Actual poll/ after completion of poll, fill up Part-II of Presiding Officer's Report (Annexure - 5)	4.6.1
4	Fill up Part-IV of Annexure - 5, in case of replacement of EVM and VVPAT during mock poll	4.6.2



5	Fill up Part-V of Presiding Officer's Report, Annexure - 5 , in case of replacement of EVM and/or VVPAT during actual poll	4.6.2
6	Share important information like EVM replacement etc. with the Returning Officer through Sector Officer. Part-IV and Part-V of Presiding Officer's Report should be handed over to Sector Officer.	4.6.3
8) PRECAUTIONS DURING POLL		
1	No arms should be carried inside the PSs.	2.24
2	No one shall be allowed to smoke inside the PS.	2.16
3	During the progress of poll, keep a close watch on the movements of the voters and ensure that no voter goes away without voting for both or either of the elections.	1.12
4	Check periodically the 'TOTAL' for each Control Unit by pressing TOTAL button on CU to ensure that the voting is going as per the serial order of electors (Total should match with voter register i.e., Form 17A last serial number).	1.12 4.5.4
5	At regular intervals, check the Ballot Unit(s) and VVPAT to ensure that the voter has not tampered with it in any manner.	1.12
6	Ensure proper application of indelible ink after the elector has been identified by the first polling officer (in charge of marked copy of electoral roll).	4.4
7	Ensure that no person other than voter and those authorities allowed by ECI, enter the polling booth.	2.9
8	Ensure that no voter brings mobile phone inside the booth and even the cell phones of polling personnel should remain switched off inside the polling booths.	4.1
9	Instruct Polling Officer to ensure compliance of instructions regarding proper identification of such voter whose name is included in the ASD List.	4.3.1
10	Collect statistical information for compilation of item 19 of Presiding Officer's diary regarding polling at every two hours and sending it to Returning Officer through Sector Officer	1.14
11	If any voter wants to know how to vote on EVM, explain him with the dummy Ballot Sheet.	-

9) UNUSUAL AND COMPLEX CASES		
A	RULE 49MA – Procedure in case of complaint about the particulars printed on VVPAT Paper Slip. (Test vote)	5.9
1	On the allegation, obtain a written declaration from the elector (Annexure 16). Inform the elector about the consequence of making a false declaration	5.9.2
2	Make a second entry related to that elector in form 17A and permit the elector to record a test vote in the voting machine	5.9.3
3	If, however, the allegation is found to be false, make necessary entries regarding such test vote in item 5 in part I of Form 17C.	5.9.3
B	VOTING BY BLIND & INFIRM VOTERS	
1	Permit such blind or infirm elector under rule 49N to take with him a companion of not less than 18 years of age. Take declaration from companion in Annexure 17 and also keep record of all such cases in Form 14A. Apply indelible ink on the right index finger of the companion.	5.2
C	ELECTORS DECIDING NOT TO VOTE	
1	Make a remark in the remarks column against the entry relating to him in the Register of Voters, and obtain the Signature or thumb impression of the elector under rule 49O.	5.3
D	TENDERED VOTES	
1	Before handing over the tendered ballot paper to the elector, you should write the words “Tendered Ballot Paper” on the back of these ballot paper. Obtain signature of Elector in Form 17B.	5.6

2	Keep a correct account of all ballot papers (i) received for use as tendered ballot papers, (ii) issued as such to electors, and (iii) not used and returned, in item 9 of Part I of Form 17C	5.6
3	Maintain complete record of the electors who have been issued with tendered ballot papers	5.6
4	Keep all the polled tendered ballot papers and the list of such tendered ballot papers, in a cover specially provided for the purpose and seal the cover at the close of the poll	5.6.4
10) CLOSING OF POLL		
1	Close the poll at the appointed hour even if it has started late. Give slips with Presiding Officer's signature only to those people who are in the queue at this hour.	7.1.2
2	Ensure that no additional person joined the queue after the appointed hour.	7.1.2
3	Ensure that after the last voter has voted as per the above procedure, the 'CLOSE' button is pressed on the Control Unit and Part-III of Presiding Officer's Report has been prepared.	7.2
4	Note the total number of votes recorded in the EVM in Item 6 of Part I of Form 17C.	7.2.2
5	At the time of closure of poll, make a note of the Poll end date and time, displayed on the CU in the Presiding Officer's diary.	7.2.5
6	Switch off from CU and then disconnect the BU(s) from VVPAT and VVPAT from the Control Unit.	7.4
7	Remove VVPAT Power pack.	7.4
11) ACCOUNTS OF VOTES RECORDED		
1	After the close of poll, prepare under Rule 49S, an account of votes recorded in the EVM (Such account shall be prepared in Part-I of Form-17C. This should be prepared in duplicate.)	7.3.1
2	Under Rule 49S, at the close of poll, furnish to all polling agents present, a true and attested copy of the account of votes recorded as prepared by him in Form-17C, after obtaining a receipt from those polling agents.	7.3.2
3	Make a declaration at the close of poll (Part III, Annexure - 6)	7.3.3

12) SEALING OF EVM AND VVPAT & OTHER DOCUMENTS AFTER THE CLOSE OF POLL



1	Switch off the power switch in the Control Unit before disconnecting the Ballot Unit(s), the Control Unit and VVPAT.	7.4.2
2	Ensure that the power pack of VVPAT has been removed; paper slips contained in the drop box of the VVPAT are intact, and the Ballot Unit(s), the Control Unit and VVPAT put back in their respective carrying cases.	7.4.2
3	Ensure that each carrying case is sealed at both ends by passing a thread through the two holes provided for the purpose on both sides of the carrying case and putting thread seal with an address tag showing the particulars of the election, the PS and the unit contained therein and carrying the Presiding Officer's dated signatures and seal on it.	7.4.3
4	Ensure that the candidates or their polling agents as are present and desirous of putting their seals shall also be allowed to do so.	7.4.4
5	Ensure that the names of the candidates/polling agents who have affixed their seals on the carrying case of the Ballot Unit(s) and Control Unit are noted in the declaration which he makes at the close of the poll.	7.4.5
6	Ensure that all election papers relating to the poll are sealed in accordance with the provisions of rule 49U.	7.5.1
7	Ensure that each packet containing election papers is sealed with the seal of the Presiding Officer.	7.5.2
8	Ensure that the candidates or their agents present at the PS are allowed to affix their seals on such packets if they so desire.	7.5.1

13) AFTER THE COMPLETION OF POLL		
1	Seal all election papers as per instructions in Chapter 7	7.5.2
2	<p>Prepare following items</p> <p>1) STRONG and STORE ROOM COVER FIRST PACKET (WHITE ENVELOPE):</p> <ol style="list-style-type: none"> a) The cover containing the account of votes recorded (17C) and paper seal account. b) The cover containing the declarations of the Presiding Officer. c) The cover containing the Presiding Officer's diary d) The cover containing Presiding officer's Report. e) Visit Sheet. f) 16-Point Observer's Report. 	7.5.2
	<p>2) STATUTORY COVERS (GREEN ENVELOPE):</p> <ol style="list-style-type: none"> a) The sealed cover containing the marked copy of the electoral roll; b) The sealed cover containing the Register of Voters; c) The sealed cover containing voter's slips; d) The sealed cover containing unused tendered ballot papers; e) The sealed cover containing the used tendered ballot papers and the list in Form 17B. 	7.5.2

- 3) NON-STATUTORY COVERS (YELLOW ENVELOPE):
- a) The cover containing the copy or copies of electoral roll (other than the marked copy);
 - b) Cover containing the appointment letters of polling agents in Form 10;
 - c) The cover containing the Election Duty Certificates (EDC) in Form 12- B;
 - d) The sealed cover containing the list of challenged votes in Form14;
 - e) The cover containing the list of blind and infirm electors in Form14-A and the declarations of the companions;
 - f) The cover containing the declarations obtained from electors as to their age and the list of such electors;
 - g) Cover containing the receipt book and cash, if any, in respect of challenged votes;
 - h) Cover containing unused and damaged paper seals;
 - i) Cover containing unused voter's slips;
 - j) Cover containing unused and damaged special tags; and

7.5.2

- 4) FOURTH PACKET (BROWN COLOR)
- a) The Handbook for Presiding Officer;
 - b) Manual of Electronic Voting Machine and VVPAT;
 - c) Indelible ink set (with stopper having been secured on each phial effectively with molten candle or wax applied thereon to prevent leakage or evaporation);
 - d) Self-inking pads;
 - e) The metal seal of the Presiding Officer;
 - f) The arrow cross-mark rubber stamp for marking tendered ballot papers;
 - g) Container for setting the indelible ink.

7.5.2

	5) FIFTH PACKET (BLUE COLOR) All the other items, if any, should be packed.	7.5.2
3	Ascertain the number of female voters, who have voted.	-
4	Prepare information on voters who voted through EPIC and voting by voters in the list of absentee voters provided.	7.6.1
5	If there is difference in number of votes cast displayed by EVM and received in voters register, inform your sector/ zonal officer and RO necessarily.	-
6	Ensure completion of Presiding Officer's Diary. All the items should be filled. If any incident occurs at polling booth it should be reported in diary. Fill Presiding Officer's additional report to be submitted to the observer given as Annexure - 12.	7.6.1
7	After completion of poll, when you are returning back to the collection center, you must take the designated vehicle and designated route. Under any circumstances you should not make any deviation.	-

14) AT THE COLLECTION CENTRE

You have to hand over to the Official-in-charge of the collection center the following items of election records and materials and obtain a receipt:

1	The first packet superscribed "STRONG AND STORE ROOM COVERS."	-
2	The second packet superscribed "STATUTORY COVERS" (containing 5 covers).	-
3	The third packet superscribed "NON- STATUTORY COVERS" (Containing 11 covers).	-
4	The Fourth packet - the packet containing 7 items of election materials.	-
5	Material for Voting Compartment.	-
6	Lantern, if supplied.	-

7	Waste paper basket.	-
8	Polythene bag/gunny bag to carry polling materials.	-
9	Fifth packet containing all other items, if any.	-
10	Presiding Officer should ensure that EVM is not left at any point of time unattended till deposition at the collection Centre	-

15) IN CASE OF SIMULTANEOUS ELECTIONS

1	In case of simultaneous election, ensure that on the green paper seal fixed in the Control Unit for Lok Sabha election, only the candidates for the Lok Sabha election or their polling agents as are present affix their signatures and similarly, on the green paper seal fixed in the Control Unit for Legislative Assembly election, the candidates for Assembly election or their polling agents alone affix their signatures.	-
2	Ensure that electors have cast their votes in both the EVMs.	-
3	Ensure that, in simultaneous election, copies of Form 17C for parliamentary election are supplied to polling agents of the candidates in parliamentary constituency only and copies of Form 17C for the assembly election are given only to the agents of candidates of assembly constituency	-
4	In case of simultaneous election, disconnect the BUs and VVPATs from the Control Units and sealed them in their respective carrying cases. The papers should be prepared and sealed separately.	-
5	At simultaneous election, ensure that the carrying cases of all the units have identity stickers of the concerned elections, prominently pasted on the outside. Also ensure that the Ballot Units, VVPATs and Control Units are placed only in their respective carrying cases with the election identity label firmly pasted and fix the duly filled address tags to the respective carrying cases.	-

धन्यवाद